NEXT IAS

आंतरिक सुरक्षा

सिविल सेवा परीक्षा 2027

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट कार्यालयः 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्रः 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विजिट करें: www.madeeasypublications.org

आंतरिक सुरक्षा

© कॉपीराइटः Made Easy Publications Pvt. Ltd.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करणः 2024

द्वितीय संस्करणः 2025

तृतीय संस्करणः 2026

विषयसूची

आंतरिक सुरक्षा

अध्याय 1

आंतरिक सुरक्षाः एक सिंहावलोकन
(INTERNAL SECURITY: AN OVERVIEW)................................ 1

1.1 परिचय (Introduction).. 1

1.1.1 आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ख़तरों के बीच अंतर (Difference between Internal and External Security Threats) 1

1.2 परिभाषा (Definition).. 1

1.3 आंतरिक सुरक्षा के घटक (Constituents of Internal Security).............................. 2

1.4 आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में योगदान देने वाले कारक (Factors Contributing to Internal Security Challenges).. 3

1.4.1 शासन में न्यूनता (Governance Deficit)............ 3

1.4.2 आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System)............................ 4

1.4.3 भौगोलिक कारक (Geographical Factors)........ 4

1.4.4 सामाजिक कारक (Social Factors).................... 5

1.5 भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ (Internal Security Challenges of India)....................... 5

1.5.1 बाह्य चुनौतियाँ (External Challenges) 6

1.5.2 विकास की कमी संबंधी चुनौतियाँ (Development Deficit Related Challenges) .. 7

1.5.3 भौगोलिक चुनौतियाँ (Geographical Challenges)... 8

1.5.4 सामाजिक चुनौतियाँ (Social Challenges) 8

1.5.5 तकनीकी चुनौतियाँ (Technological Challenges) 10

1.6 आंतरिक सुरक्षा नीति के पहलू (Aspects of Internal Security Policy) 10

1.6.1 राजनीतिक (Political).................................... 10

1.6.2 सामाजिक-आर्थिक (Socio-Economic) 11

1.6.3 कानून प्रवर्तन एजेंसी (Law Enforcement Agencies)..................... 11

1.6.4 शासन (Governance)................................... 11

1.6.5 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय (Coordination between Centre and States)....................... 12

1.6.6 साइबर सुरक्षा (Cyber-Security)...................... 12

1.6.7 आसूचना (Intelligence)................................ 12

1.6.8 सीमा क्षेत्र प्रबंधन (Border Area Management)........................ 12

1.7 भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति (India's Internal Security Policy) 13

1.7.1 सुरक्षा हित और उद्देश्य (Security Interests and Objectives)............ 13

1.7.2 विभिन्न भारतीय सुरक्षा बल (Various Security Forces of India) 14

1.7.3 आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की पहलें (Initiatives taken by GoI to ensure Internal Security) 14

1.7.4 वर्तमान नीति की सीमाएँ (Limitations in Present Policy) 15

1.7.5 सुझाव एवं सिफारिशें (Suggestions and Recommendations)....... 15

1.8 आंतरिक सुरक्षा नीति सिद्धांत के घटक (Constituents of Internal Security Policy Doctrine) ... 16

1.8.1 भौतिक (Physical) 17

1.8.2 शासन (Governance)................................... 17

1.8.3 आर्थिक (Economic).................................... 18

1.8.4 तकनीकी (Technological)............................. 18

1.8.5 रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति (Defence Production and Export Promotion Policy-DPEPP) 2020... 19

1.8.6 मनोवैज्ञानिक (Psychological)......................... 19

अध्याय 2

आतंकवाद (TERRORISM) 22

2.1 परिचय (Introduction).. 22

2.2 परिभाषा (Definition).. 22

2.3 आतंकवाद के प्रकार (Types of Terrorism) 23

2.3.1 बाह्य राज्य द्वारा आतंकवाद (राज्य प्रायोजित आतंकवाद) [Terrorism by External State (State Sponsored Terrorism)] 23

2.3.2 गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा आतंकवाद (Terrorism by Non-State Actors) 23

2.3.3 विचारधारा उन्मुख आतंकवाद (Ideology Oriented Terrorism) 23

2.3.4 धार्मिक आतंकवाद (Religious Terrorism) 24

2.3.5 नृजातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद (Ethno-Nationalist Terrorism) 24

2.3.6 लोन वुल्फ आतंकवाद (Lone Wolf Terrorism) .. 24

2.4 आतंकवाद के कारण (Causes of Terrorism) 24

2.4.1 ऐतिहासिक कारक (Historical Factors) 24

2.4.2 धार्मिक (Religion) 24

2.4.3 नृजातीयता (Ethnicity) 24

2.4.4 राजनीतिक (Political) 24

2.4.5 मानवाधिकार (Human Rights) 24

2.4.6 आर्थिक (Economic) 24

2.5 विधियाँ (Methods) 25

2.5.1 पर्यावरणीय आतंकवाद (Environmental Terrorism) 25

2.5.2 सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction) 25

2.5.3 रासायनिक हथियार (Chemical Weapons) 25

2.5.4 परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) 25

2.5.5 जैविक हथियार (Biological Weapons) 25

2.5.6 साइबर आतंकवाद (Cyber-Terrorism) 25

2.6 भारत में आतंकवाद (Terrorism in India) 26

2.6.1 जम्मू और कश्मीर उग्रवाद (Jammu and Kashmir Militancy) 26

2.6.2 पूर्वोत्तर राज्यों में विप्लव (Insurgency in North-Eastern States) 30

2.6.3 वामपंथी उग्रवाद (LWE) 30

2.6.4 अंदरूनी क्षेत्रों (पृष्ठ प्रदेशों) में आतंकवाद (Terrorism in Hinterland) 30

2.7 आतंकी वित्त-पोषण (Terror Financing) 31

2.7.1 बाह्य स्रोत (External Sources) 31

2.7.2 आंतरिक स्रोत (Internal Sources) 32

2.8 आतंकी वित्त-पोषण पर प्रतिक्रिया (Response to Terror Financing) 33

2.9 आतंकवाद के प्रभाव (Effects of Terrorism) 34

2.9.1 आर्थिक (Economic) 34

2.9.2 मनोवैज्ञानिक (Psychological) 34

2.9.3 राजनीतिक (Political) 34

2.9.4 शासन (Governance) 34

2.9.5 सामाजिक (Social) 34

2.10 भारत में आतंक-रोधी कानून (Anti-Terror Laws in India) 35

2.10.1 गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA), 1967 35

2.10.2 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act), 1980 35

2.10.3 आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 और 1987 [Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act or TADA, 1985 and 1987] 35

2.10.4 आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (POTA) ... 35

2.11 26/11 हमले के बाद परिवर्तन (Changes After 26/11 Attack) 35

2.11.1 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 [National Investigating Agency Act] 2008] 35

2.11.2 नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) 36

2.11.3 चार नए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र (Four New National Security Guard Hubs) . 36

2.11.4 विप्लव-रोधी और आतंक-रोधी स्कूल (Counter-Insurgency and Anti-Terrorism Schools) 36

2.11.5 गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA) में संशोधन 36

2.11.6 बहु-अभिकरण केंद्र: अधिक सशक्त और पुनर्गठित (Multi Agency Centre: Galvanised and Reorganised) 37

2.11.7 सुदृढ़ तटीय और समुद्री सुरक्षा (Stronger Coastal and Maritime Security) ... 37

2.11.8 राष्ट्रीय पुलिस मिशन (NPM) 37

2.11.9 सुरक्षा बलों के लिए बेहतर उपकरण (Better Equipment for Security Forces) 37

2.11.10 युवाओं को कट्टरता से मुक्त करने के लिए एटीएस टीम (ATS Team to Deradicalise Youth) 38

2.12 राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र: एक समालोचनात्मक विश्लेषण [National Counter Terrorism Centre (NCTC): A Critical Analysis] 38

2.13 आतंकवाद से मुकाबला करने की रणनीति (Strategy to Counter Terrorism) 38

2.13.1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 2593 का अनुपालन (Adherence to UNSC Resolution 2593) 38

2.13.2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का शीघ्र कार्यान्वयन (Early Implementation of CCIT Convention) 39

2.13.3 राजनीतिक सहमति (Political Consensus) 39

2.13.4 सुशासन और सामाजिक-आर्थिक विकास (Good Governance and Socio-Economic Development) 39

2.13.5 विधि के शासन का सम्मान (Respect for Rule of Law) 39

2.13.6 आतंकवादियों की विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना (Countering Subversive Activities of Terrorists) 39

2.13.7 उचित विधिक् ढाँचा प्रदान करना (Providing Appropriate Legal Framework) . 39

2.13.8 क्षमता निर्माण (Capacity Building) 40

2.14 आतंकवाद का मुकाबला करने पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा (2nd ARC Recommendation on Countering Terrorism) 40

2.15 आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में शामिल अन्य संस्थाएँ (Other Institutions in Fight Against Terrorism) 40

2.15.1 शिक्षा (Education) 40

2.15.2 नागरिक समाज (Civil Society) 41

2.15.3 मीडिया (Media) 41

निष्कर्ष (Conclusion) 41

अध्याय 3

पूर्वोत्तर में विप्लव (विद्रोह) (INSURGENCY IN NORTH-EAST) 43

3.1 परिचय (Introduction) 43

3.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 43

3.3 भूगोल (Geography) 43

3.4 पूर्वोत्तर से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Concerning Northeast) 43

3.5 राजनीतिक अशांति (Political Unrest) 44

3.6 राज्यों में विप्लव (विद्रोह) की स्थिति (Status of Insurgency in States) 44

3.6.1 अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) 44

3.6.2 असम (Assam) 45

3.6.3 मेघालय (Meghalaya) 47

3.6.4 मिजोरम (Mizoram) 47

3.6.5 मणिपुर (Manipur) 48

3.6.6 नागालैंड (Nagaland) 49

3.6.7 त्रिपुरा (Tripura) 51

3.7 विप्लव/विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक (Factors Causing Insurgency) 51

3.7.1 ऐतिहासिक कारक (Historical Factors) 51

3.7.2 भौगोलिक कारक (Geographical Factors) 52

3.7.3 सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors) 52

3.7.4 सामाजिक कारक (Social Factors) 52

3.7.5 आप्रवासन संबंधित कारक (Immigration Factors) 53

3.7.6 आर्थिक कारक (Economical Factors) 53

3.7.7 राजनीतिक कारक (Political Factors) 53

3.7.8 शासन संबंधित कारक (Governance Factors) . 54

3.8 उग्रवाद के बने रहने के कारण (Reasons for Survival of Insurgency) 54

3.8.1 राजनीतिक प्रेरणाएँ (Political Motivations) 54

3.8.2 शस्त्रों की उपलब्धता (Availability of Arms) 54

3.8.3 लोकप्रिय समर्थन आधार (Popular Support Base) 55

3.8.4 भूगोल और भू-भाग (Geography and Terrain) 55

3.8.5 बाह्य सहयोग (External Support) 55

3.9 सशस्त्र नृजातीय विद्रोह पर राज्य की प्रतिक्रिया (State's Response to Armed Ethnic Insurgency) 55

3.9.1 बल का आनुपातिक उपयोग (Proportionate use of Force) 55

3.9.2 संवाद और वार्ता का उपयोग (Use of Dialogues and Negotiations) 55

3.9.3 संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes) 55

3.10 उग्रवाद विरोधी कदम (Counter Insurgency Steps) 57

3.11 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) 57

3.11.1 मुख्य विशेषताएँ (Salient Features) 57

3.11.2 उच्चतम न्यायालय का अवलोकन (Supreme Court's Observation) 58

3.11.3 अफस्पा (AFSPA): आलोचनात्मक विश्लेषण (AFSPA: A Critical Analysis) 58

अध्याय 4

वामपंथी उग्रवाद (LEFT-WING EXTREMISM) 61

4.1 परिचय (Introduction) 61

4.1.1 माओवाद (Maoism) 61

4.1.2 भारत में माओवाद (Maoism in India) 62

4.1.3 माओवाद बनाम नक्सलवाद (Maoism vs Naxalism) 62

4.2 वामपंथी उग्रवाद का विकास (Evolution of Left-Wing Extremism) 62
4.3 नक्सलवाद के उद्देश्य (Objectives of Naxalism) 63
4.4 नक्सलवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Rise of Naxalism) 63
4.5 शहरी नक्सलवाद (Urban Naxalism)............................ 64
4.6 नक्सलवाद से निपटने में चुनौतियाँ (Challenges in Dealing With Naxalism).................... 65
4.7 नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार का दृष्टिकोण (Government's Approach to Counter Naxalism)....... 66
4.8 नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकारी कार्यवाही का मूल्यांकन (Evaluation of Government's Action to Control Naxalism).. 70
4.9 वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की भावी रणनीति (Future Strategy to Eliminate Left-Wing Extremism) . 70
निष्कर्ष (Conclusion)... 71

अध्याय 5

विकास और उग्रवाद
(DEVELOPMENT AND EXTREMISM) 73
5.1 परिचय (Introduction).. 73
5.2 विकास (Development) 73
5.3 उग्रवाद के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Spread of Extremism) 73
5.3.1 ऐतिहासिक (Historical).................................. 73
5.3.2 भौगोलिक (Geographical) 74
5.3.3 जल जंगल ज़मीन (Jal Jangal Jameen) 74
5.3.4 अनुसूचित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक विनियमों को लागू करने में विफलता (Failure to Implement Protective Regulations in Scheduled Areas)75
5.3.5 आर्थिक (Economic) 75
5.3.6 सामाजिक (Social)... 76
5.3.7 राजनीतिक (Political) 76
5.3.8 शासन की कमी (Governance Deficit)........... 77
5.3.9 तकनीकी संबंधी(Technological) 77
5.3.10 नृजातीय (Ethnic)... 78
5.4 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक चुनौतियाँ (Developmental Challenges in Extremism Affected Areas)... 78
5.4.1 उच्च निर्धनता (High Poverty)......................... 78
5.4.2 निम्न शिक्षा (Low Education) 78
5.4.3 रोजगार के सीमित अवसर (Limited Employment Opportunities).......... 78
5.4.4 राजनीतिक हाशियाकरण (Political Marginalisation) 78
5.4.5 सामाजिक भेदभाव (Social Discrimination) 78
5.4.6 मानवाधिकारों का उल्लंघन (Human Rights Violations)... 79
5.5 कट्टरता और कट्टरता उन्मूलन (Radicalization and De-Radicalization).................... 79
5.5.1 भारत में कट्टरता (Radicalization in India)...... 79
5.5.2 कट्टरता उन्मूलन (De-Radicalization).............. 80
5.6 उग्रवाद को बढ़ावा देने में आर्थिक विकास की भूमिका (Role of Economic Development in Fuelling Extremism)... 81
5.6.1 बुनियादी संसाधनों तक पहुँच का अभाव (Lack of Access to Basic Resources) 81
5.6.2 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के कारण विरोध [Protest due to Special Economic Zones (SEZ)] 81
5.6.3 साझी परिसंपत्ति संसाधनों का संकुचन (Shrinkage of Common Property Resources) 81
5.6.4 श्रम, बेरोजगारी और मजदूरी से संबंधित मुद्दे (Issues related to Labour, Unemployment and Wages)....................... 82
5.6.5 विस्थापन एवं पुनर्वास (Displacement and Rehabilitation) 82
5.6.6 पर्यावरण निम्नीकरण (Environmental Degradation)...................... 82
5.6.7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का राजनीतिक हाशियाकरण (Political Marginalisation of SCs and STs).. 83
5.6.8 ऋणग्रस्तता (Indebtedness)........................... 83
5.7 उग्रवाद को रोकने के उपाय (Measures to Contain the Extremism)...................... 83
5.7.1 विधायी उपाय (Legislation Related Measure).................... 83
5.7.2 भूमि संबंधी उपाय (Land Related Measures)........................... 84
5.7.3 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement) 84
5.7.4 आजीविका (Livelihood)................................ 84
5.7.5 बुनियादी सामाजिक सेवाओं का सार्वभौमिकरण (Universalisation of Basic Social Services) 85
5.7.6 सुरक्षा पहलू (Security Aspects) 85

5.7.7 वित्तीय स्रोतों में कटौती (Cutting Financial Sources) 85

5.7.8 विशेषीकृत एजेंसियाँ (Specialised Agencies) .. 85

5.7.9 आवश्यक उपाय (Essential Measure) 86

5.8 उग्रवाद को नियंत्रित करने में आर्थिक विकास की भूमिका (Role of Economic Development in Containing Extremism) 86

5.9 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा उपाय (Safeguards for SCs and STs) 86

निष्कर्ष (Conclusion) 88

अध्याय 6

सांप्रदायिक और भीड़ हिंसा
(COMMUNAL AND MOB VIOLENCE) 90

6.1 परिचय (Introduction) 90

6.2 सांप्रदायिकता (Communalism) 90

6.3 सांप्रदायिकता की विशेषताएँ (Features of Communalism) 90

6.4 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ (Incidents of Communal Violence) 91

6.5 सांप्रदायिक हिंसा के कारण (Causes of Communal Violence) 91

6.5.1 सामान्य कारण (General Causes) 91

6.5.2 धार्मिक कारण (Religious Causes) 93

6.5.3 सामान्य कारण (Trivial Causes) 95

6.6 परिणाम: सांप्रदायिक हिंसा (Consequences: Communal Violence) 96

6.7 सांप्रदायिकता का समाधान (Solutions to Communalism) 97

6.8 सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के उपाय (Measures to Counter Communal Violence) 98

6.9 भीड़ द्वारा की गई हिंसा/ मॉब लिंचिंग (Mob Violence) ... 99

6.9.1 मॉब और भीड़: एक तुलना (Mob and Crowd: A Comparison) 99

6.9.2 मॉब/भीड़ की मानसिकता (Mob Mentality) 100

6.10 मॉब वायलेंस/भीड़ द्वारा हिंसा के कारण (Causes of Mob Violence) 101

6.10.1 सामाजिक (Social) 101

6.10.2 मनोवैज्ञानिक (Psychological) 102

6.10.3 राजनीतिक (Political) 102

6.10.4 धार्मिक (Religious) 102

6.10.5 शासन (Governance) 103

6.10.6 नीतिशास्त्रीय (Ethical) 104

6.11 मॉब वायलेंस/भीड़ द्वारा हिंसा के परिणाम (Consequences of Mob Violence) 104

6.11.1 सामाजिक (Social) 104

6.11.2 आर्थिक (Economic) 105

6.11.3 शासन (Governance) 105

6.11.4 राजनीतिक (Political) 105

6.11.5 मनोवैज्ञानिक (Psychological) 105

6.12 मॉब वायलेंस/भीड़ द्वारा हिंसा से बचने के उपाय (Measures to Avoid Mob Violence) 106

6.12.1 एहतियाती उपाय करना (Taking Pre-emptive Measures) 106

6.12.2 मानक संचालन प्रक्रियाएँ (Standard Operating Procedures) 106

6.12.3 सामाजिक समरसता को मज़बूत करना (Strengthening Social Harmony) 107

6.12.4 हिंसा के विरुद्ध समुदायों को शिक्षित करना (Educating Communities Against Violence) 107

6.12.5 अपराधियों पर मुक़दमा चलाना (Prosecuting the Offenders) 107

6.12.6 मॉब लिंचिंग को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश (Supreme Court's Prescription to end Mob Lynching) 107

6.13 मॉब एक्शन/कार्यवाहियों से निपटने के लिए सरकार की पहलें (Government initiatives to deal such mob actions) 108

निष्कर्ष (Conclusion) 108

अध्याय 7

बाह्य राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता
(EXTERNAL STATE AND NON-STATE ACTORS) 111

7.1 राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (State and Non-State Actors) 111

7.2 बाह्य राज्य अभिकर्ताओं से ख़तरे (Threats from External State Actors) 111

7.2.1 चीन से ख़तरे (Threats from China) 111

7.2.2 पाकिस्तान से ख़तरा (Threats from Pakistan) 119

7.2.3 बांग्लादेश (Bangladesh) 125

7.2.4 म्यांमार (Myanmar) 125

7.2.5 नेपाल (Nepal) 126

7.3 बाह्य गैर-राज्य अभिकर्ताओं से ख़तरे (Threats from External Non-State Actors)............... 126

7.3.1 आतंकवाद (Terrorism) 126

7.3.2 ISIS की चुनौती (Challenge of ISIS) 127

7.3.3 लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attacks)......... 128

7.3.4 मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking) 130

7.3.5 ड्रग कार्टेल्स (Drug Cartels)......................... 132

7.3.6 समुद्री डकैती (Sea Piracy) 135

7.3.7 नकली मुद्रा रैकेट/गिरोह (Fake Currency Rackets)... 135

7.3.8 साइबर हमले (Cyber Attacks) 136

7.3.9 अवैध अप्रवासी (Illegal Immigrants) 136

7.3.10 पारराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निगम (Transnational and Multi-National Corporations).............. 137

7.3.11 बुकीज़ (सट्टेबाज़) और क्रिकेट माफिया (Bookies and Cricket Mafias) 137

7.3.12 अंतर्राष्ट्रीय पुरावशेषों की तस्करी से संबंधित रैकेट/गिरोह (International Antiquities Smuggling Rackets)... 138

अध्याय 8

तटीय और समुद्री सुरक्षा
(COASTAL AND MARITIME SECURITY)............................. 141

8.1 परिचय (Introduction)... 141

8.2 भारत की तटीय सुरक्षा के लिए विभिन्न ख़तरे (Various Threats to Coastal Security of India) 142

8.2.1 समुद्री आतंकवाद (Maritime Terrorism)......... 142

8.2.2 समुद्री दस्युता (Piracy) 142

8.2.3 सशस्त्र डकैती (Armed Robbery) 143

8.2.4 तस्करी (Smuggling).................................. 143

8.2.5 अवैध व्यापार (Trafficking)......................... 143

8.2.6 घुसपैठ (Infiltration).................................... 143

8.2.7 अवैध प्रवासन (Illegal Migration) 144

8.2.8 मछुआरों का समुद्री सीमा से परे भटकना (Straying of Fishermen Beyond Maritime Boundary).................................. 144

8.3 हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री दस्युता (Piracy in the Indian Ocean Region)...................... 144

8.4 भारत की तटीय सुरक्षा संरचना का विकास (Evolution of Coastal Security Architecture of India)............... 145

8.4.1 1960 के दशक तक किए गये उपाय (Measures Taken Till 1960's)................... 145

8.4.2 1960 के दशक के बाद किए गये उपाय (Measures Taken After 1960's)................. 146

8.4.3 1990 के दशक में किए गये उपाय (Measures Taken in 1990's) 146

8.4.4 कारगिल युद्ध के बाद उठाए गए कदम (Measures Taken Post Kargil War) 146

8.4.5 '26/11' के बाद उठाए गए कदम (Measures Taken Post '26/11') 147

8.5 तटीय सुरक्षा ढाँचे (फ्रेमवर्क) में खामियाँ (Lacunae in Coastal Security Framework) 149

8.5.1 समन्वयन की कमी (Lack of Coordination) .. 149

8.5.2 अपर्याप्त संसाधन (Inadequate Resources) .. 149

8.5.3 भिन्न-भिन्न धारणाएँ (Differing Perceptions) 150

8.5.4 खराब प्रशिक्षण (Poor Training).................... 150

8.5.5 व्यापक नीति निर्माण तंत्र का अभाव (Absence of a Comprehensive Policy Formulation Mechanism)... 150

8.5.6 मछुआरा समुदायों में असंतोष (Discontent in Fishermen Communities)... 150

8.5.7 विविध कारक (Miscellaneous Factors)....... 150

8.5.8 गैर-प्रमुख और निजी बंदरगाहों की सुरक्षा (Security of Non-Major and Private Ports) 151

8.6 तटीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए सरकार की पहलें (Initiatives by Government to Strengthen Coastal Security).. 151

निष्कर्ष (Conclusion)... 153

अध्याय 9

साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया
(CYBER SECURITY AND SOCIAL MEDIA) 155

9.1 परिचय (Introduction)... 155

9.2 साइबर ख़तरे के प्रकार (Types of Cyber Threat's)...... 155

9.2.1 साइबर अपराध (Cyber Crime) 156

9.2.2 साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)............ 156

9.2.3 साइबर युद्ध/वॉरफेयर (Cyber Warfare) 157

9.2.4 साइबर जासूसी (Cyber Espionage).............. 157

9.3 साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद के माध्यम (Methods of Cyber Crime and Cyber Terrorism).... 157

9.3.1 हैकिंग (Hacking)....................................... 157

9.3.2 वायरस (Viruses) 157

9.3.3 ट्रोजन (Trojans)... 158

9.3.4 कंप्यूटर वॉर्म (Computer Worms) 158

9.3.5 डिनायल-ऑफ-सर्विस (Denial of Service) 158
9.3.6 फिशिंग (Phishing)...................................... 158
9.3.7 ईमेल से संबंधित हमले (Email Related Attacks)... 158
9.3.8 'सोशल इंजीनियरिंग' संबंधी हमले (Social Engineering Attacks)................................ 158
9.3.9 व्हेलिंग (Whaling) 158
9.3.10 एन्क्रिप्टेड संदेश (Encrypted Messages)...... 158
9.3.11 आईपी स्पूफिंग 158
9.3.12 स्किमिंग (Skimming).................................. 158
9.3.13 रैनसमवेयर (Ransomware).......................... 158
9.3.14 ज़ीरो-क्लिक अटैक (Zero-click attack)......... 159
9.3.15 मैन-इन-द-मिडिल (MITM) अटैक (Man-in-the-middle (MITM) attack)........... 159
9.3.16 ब्लूबगिंग (Bluebugging) 159
9.4 साइबर सुरक्षा की आवश्यकता (Need for Cyber Security)...................................... 160
9.5 महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा (Critical Infrastructure) 160
9.5.1 महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure- CII).... 161
9.5.2 महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का संरक्षण (Protection of Critical Infrastructure) 161
9.5.3 महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर साइबर हमले (Cyber attacks on Critical Infrastructure) . 162
9.6 भारत की साइबर सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ (Challenges to India's Cyber Security) 162
9.7 उभरती प्रौद्योगिकियाँ और संबद्ध चुनौतियाँ (Emerging Technologies and Associated Challenges) 162
9.7.1 5G 162
9.7.2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) Artificial Intelligence (AI) 163
9.7.3 आधार (Aadhar)... 163
9.7.4 आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) 164
9.7.5 पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus Spyware)......... 164
9.8 साइबर सुरक्षा उपाय (Cyber Security Measures)........ 165
9.8.1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000)......... 165
9.8.2 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (Information Technology (Amendment) Act, 2008).. 166
9.8.3 भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) (Indian Computer Emergency Response Team- CERT-In)....................... 167
9.8.4 राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) (National Critical Information Infrastructure Protection Centre& NCIIPC)167
9.8.5 साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra)........................ 168
9.8.6 वित्तीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-Fin) (Cyber Security in Financial Sector- CERT-Fin) 169
9.8.7 साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (Cyber Appellate Tribunal)....................... 169
9.8.8 राष्ट्रीय सूचना बोर्ड (NIB) (National Information Board- NIB)............ 169
9.8.9 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहल (International Cooperation Initiatives)....... 170
9.8.10 अन्य उपाय (Other Measures)..................... 170
9.9 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति: एक विश्लेषण (National Cyber Security Policy: An Analysis)........ 171
9.10 स्थायी समिति की सिफ़ारिशें (Recommendations of Standing Committee) 173
9.11 गुलशन राय समिति की सिफ़ारिशें (Recommendations of Gulshan Rai Committee) 173
9.12 राष्ट्रीय साइबर संरक्षा और सुरक्षा मानक (National Cyber Safety and Security Standards).... 174
9.13 राष्ट्रीय डिज़िटल संचार नीति, 2018 (National Digital Communication Policy, 2018) 174
9.14 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 (National Cyber Security Strategy 2020)................ 175
9.15 भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber-Crime Coordination Centre) 175
9.16 राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) (National Cyber Coordination Centre - NCCC) 175
9.17 समकालीन मुद्दे (Contemporary Issues) 176
9.17.1 चीन की मोबाइल कंपनियों से सुरक्षा को ख़तरा (Security Threat from Chinese Mobile Companies)... 176
9.17.2 स्मार्टफोन, ब्राउज़र और एप्लिकेशन आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा (Smart Phones, Browsers and Applications are Threat to Internal Security).. 176
9.17.3 डेटा लीकेज (Data Leakages)..................... 176
9.17.4 रैनसमवेयर हमले (Ransomware Attacks)..... 176
9.17.5 डिज़िटल संप्रभुता (Digital Sovereignty)........ 177
डिज़िटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 (Digital Personal Data Protection Bill, 2023).. 177
निष्कर्ष (Conclusion) 179

9.18 सोशल मीडिया (Social Media) 180

9.18.1 परिभाषा (Definition) 180

9.18.2 सोशल मीडिया तक पहुँच (Social Media Reach) 181

9.18.3 सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact of Social Media) 181

9.18.4 सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव (Negative Impact of Social Media) 181

9.18.5 'पोस्ट-ट्रुथ टाइम्स' (ऐसा समय जब झूठी अफ़वाहें प्रमुख समाचार का विषय बन जाती हैं) में फेक न्यूज़ (Fake News in Post-Truth Times) 183

9.18.6 गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग (Use of Social Media By Non-State Actors) 183

9.18.7 राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति (National Social Media Policy) 184

9.18.8 'कट्टरता को समाप्त करने की रणनीति' (De-Radicalization Strategy) 184

9.18.9 कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग (Use of Social Media by Law Enforcement Agencies) 185

9.18.10 आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करने में सोशल मीडिया की भूमिका (Role of Social Media in Creating Internal Security Challenges) 185

9.18.11 सोशल मीडिया से संबंधित नए आईटी नियम (New IT Rules Related to Social Media) ... 186

9.18.12 सोशल मीडिया के ख़तरों से निपटने के उपाय (Measures to Tackle Threats from Social Media) 186

अध्याय 10

धन-शोधन (MONEY LAUNDERING) 190

10.1 परिचय (Introduction) 190

10.2 अवैध धन के सामान्य स्रोत (Common Sources of Illegal Money) 191

10.3 धन-शोधन की प्रक्रिया (Process of Money Laundering) 191

10.4 धन-शोधन की तकनीकें (Techniques of Money Laundering) 192

10.4.1 जमा संरचना/स्मर्फिंग (Deposit Structuring/Smurfing) 192

10.4.2 नकद जमा के बाद टेलीग्राफ़िक ट्रांसफर (Cash Deposits Followed by Telegraphic Transfer) 192

10.4.3 संपर्कित खाते (Connected Accounts) 192

10.4.4 व्यापार आधारित धन-शोधन (Trade Based Money Laundering) 192

10.4.5 टैक्स हैवेन के माध्यम से राउंड ट्रिपिंग (Round Tripping Through Tax Havens) 192

10.4.6 शेल कंपनियाँ और ट्रस्ट (Shell Companies and Trusts) 193

10.4.7 अग्रणी संगठन (Front Organizations) 193

10.4.8 हवाला लेन-देन (Hawala Transactions) 193

10.4.9 मुद्रा विनिमय ब्यूरो (Currency Exchange Bureaus) 193

10.4.10 बैंक प्रग्रहण (Bank Capture) 193

10.4.11 क्रेडिट कार्ड अग्रिम भुगतान (Credit Card Advance Payments) 193

10.4.12 काला वेतन (Black Salaries) 193

10.4.13 वैध व्यावसायिक लेन-देन (Legitimate Business Transactions) 194

10.4.14 बैंक ड्राफ्ट और समान उपकरण (Bank Drafts and Similar Instruments) 194

10.4.15 प्रेषण सेवाएँ (Remittance Services) 194

10.5 धन-शोधन के प्रभाव (Effects of Money Laundering) 194

10.6 धन-शोधन को रोकने के लिए सरकारी उपाय (Government Measures to Prevent Money Laundering) 195

10.7 वैधानिक उपाय (Statutory Measures) 196

10.8 धन-शोधन की रोकथाम पर द्वितीय एआरसी की सिफारिशें (2nd ARC Recommendations on Prevention of Money Laundering) 197

10.9 काला धन (Black Money) 197

10.9.1 काले धन पर श्वेत पत्र (White Paper on Black Money) 197

10.9.2 धन-शोधन 2012 को नियंत्रित करने के लिए सीबीडीटी (CBDT) की एसआईटी (SIT) की सिफारिशें (Recommendations of the SIT of CBDT to Control Money Laundering 2012) 199

10.9.3 काले धन के सृजन पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Steps Taken by Government to Curb Generation of Black Money) 200

10.9.4 आंतरिक/अंतर्राज्यीय काले धन के विरुद्ध पहल (Fight Against Domestic Black Money) 201

10.10 अंतर्राष्ट्रीय पहलें (International Initiatives) 202

10.10.1 वियना कन्वेंशन (Vienna Convention) 202
10.10.2 वित्तीय कार्यवाही कार्य बल (Financial Action Task Force)................... 202
10.10.3 वित्तीय आसूचना इकाइयाँ (Financial Intelligence Units).................... 203
10.10.4 यूरोप कन्वेंशन की परिषद् (1990) (The Council Of Europe Convention-1990).. 203
10.10.5 पलेर्मो कन्वेंशन (Palermo Convention)......... 203
10.10.6 पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (MLATs) (Mutual Legal Assistance Treaties-MLATs)... 203
10.10.7 अंतर्राष्ट्रीण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्य धन-शोधन सूचना नेटवर्क (International Money Laundering Information Network)................................ 203

अध्याय 11

संगठित अपराध ORGANIZED CRIME 205
11.1 परिचय (Introduction)... 205
11.2 परिभाषा: संगठित अपराध (Definition: Organized Crime)............................... 205
11.2.1 संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization)................. 205
11.2.2 इंटरपोल (Interpol) 205
11.2.3 संगठित अपराध के उदाहरण (Examples of Organised Crime)............... 205
11.3 विशेषताएँ (Characteristics).................................... 205
11.4 संगठित अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति (Transnational Nature of Organized Crime) 206
11.5 संगठित अपराध के प्रकार (Types of Organized Crime)206
11.5.1 दुर्व्यापार (Trafficking)................................. 206
11.5.2 माफिया गतिविधियाँ (Mafia Activities)........... 207
11.5.3 वित्तीय अपराध (Financial Crime) 208
11.5.4 आतंकवाद (Terrorism) 209
11.6 आतंकवाद और संगठित अपराध: एक तुलना (Terrorism and Organized Crime: A Comparison).. 209
11.7 आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य संबंध (Linkages between Terrorism and Organized Crime).. 209
11.8 आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मध्य संबंध (Linkages between Terrorism and Drug Trafficking)210
11.9 आतंकवाद और धनशोधन के मध्य संबंध (Linkages between Terrorism and Money Laundering).......... 210
11.10 भारत में आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य संबंध (Linkages between Terrorism and Organized Crime w.r.t. India) 211
11.11 संगठित अपराध की रोकथाम में चुनौतियाँ (Challenges to Containment of Organized Crime) . 211
11.12 अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC): 2000 (UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME (UNTOC): 2000)... 212
11.13 आगे की राह (Way Forward) 212

अध्याय 12

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ
(SECURITY CHALLENGES IN BORDER AREAS) 215
12.1 परिचय (Introduction)... 215
12.2 चुनौतियाँ (Challenges) 216
12.3 भारत में सीमा पार प्रवसन और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे (Cross Border Migration in India and Security Issues) 217
12.4 लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ (Challenges Faced by People) 217
12.5 भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ (International Borders of India) 218
12.5.1 भारत-चीन (India-China) 218
12.5.2 भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan)................. 220
12.5.3 भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh)............ 222
12.5.4 भारत-नेपाल (India-Nepal) 222
12.5.5 भारत-म्याँमार (India-Myanmar).................... 223
12.5.6 भारत-भूटान (India-Bhutan)......................... 225
12.6 सीमा प्रबंधन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया (Response to Border Management Challenges).... 225
12.7 व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली- सीआईबीएमएस (Comprehensive Integrated Border Management System - CIBMS).. 227
12.8 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme) 227
12.9 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) योजना (Vibrant Villages Programme (VVP) Scheme) 228
12.10 द्वीप क्षेत्र और तटीय सुरक्षा (Island Territories and Coastal Security)................ 228
12.11 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का सैन्यीकरण (Militarisation of Andaman And Nicobar Islands)... 229
12.12 कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee) .. 230

12.13 नरेश चंद्रा टास्क फ़ोर्स (Naresh Chandra Task Force) 230
12.14 आगे की राह (Way Forward) 231

अध्याय 13

भारत में सुरक्षा ढाँचा
ARCHITECTURE IN INDIA 234
13.1 सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security- CCS) 234
13.2 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्- एनएससी (National Security Council- NSC)........................... 235
13.3 सामरिक नीति समूह- एसपीजी (Strategic Policy Group- SPG).............................. 235
13.4 रक्षा योजना समिति- डीपीसी (Defence Planning Committee- DPC) 235
13.5 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff).. 236
13.6 राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator)............... 237
13.7 राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना से संबंधित प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ (Key Issues and Challenges in National Security Architecture)... 237

अध्याय 14

सुरक्षा बल और एजेंसियाँ
(SECURITY FORCES AND AGENCIES) 239
14.1 परिचय (Introduction)... 239
14.2 सशस्त्र बल (Armed Forces).................................... 239
14.2.1 भारतीय सेना (Indian Army)......................... 239
14.2.2 भारतीय वायु सेना (Indian Air Force)............ 239
14.2.3 भारतीय नौसेना (Indian Navy) 240
14.2.4 भारतीय तट रक्षक (Indian Coast Guard)...... 240
14.3 सशस्त्र बलों में महिलाएँ (Women in Armed Forces).. 240
14.4 सशस्त्र बलों से संबंधित प्रमुख मुद्दे (Key Issues Related to Armed Forces) 242
14.5 सशस्त्र बलों में सुधार के उपाय (Measures to Reform Armed Forces)..................... 243
14.6 भारत में नागरिक-सैन्य संबंध (Civil-Military Relations in India)............................ 243
14.7 अर्द्धसैनिक बल (Paramilitary Forces)....................... 244
14.7.1 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल- सीएपीएफ (Central Armed Police Forces- CAPF)...... 244
14.7.2 असम राइफल्स- एआर (Assam Rifles- AR) .. 246
14.8 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से संबंधित प्रमुख मुद्दे (Key Issues of Central Armed Police Forces)......... 246
14.9 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सुधार हेतु उपाय (Measures to Reform Central Armed Police Forces) 247
14.10 अन्य बल (Other Forces) 247
14.10.1 रेलवे सुरक्षा बल- आरपीएफ (Railway Protection Force- RPF)............... 247
14.10.2 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल- एनडीआरएफ (National Disaster Response Force- NDRF) 247
14.10.3 विशेष सुरक्षा दल-एसपीजी (Special Protection Group- SPG).. 248
14.10.4 स्पेशल फ्रंटियर फ़ोर्स- एसएफएफ (Special Frontier Force- SFF) 248
14.10.5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड- एनएसजी (National Security Guard- NSG) 248

अध्याय 15

आसूचना और अन्वेषण एजेंसियाँ
(INTELLIGENCE AND INVESTIGATING AGENCIES).......... 250
15.1 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग-रॉ (Research and Analysis Wing- RAW) 250
15.2 आसूचना ब्यूरो- आईबी (Intelligence Bureau- IB) 250
15.3 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी- एनआईए (National Investigating Agency- NIA)..................... 250
15.4 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो- सीबीआई (Central Bureau of Investigation- CBI) 251
15.5 राजस्व खुफिया निदेशालय- डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence- DRI) 251
15.6 प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) 251
15.7 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो- एनसीबी (Narcotics Control Bureau-NCB) 252
15.8 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो- एनसीआरबी (National Crime Records Bureau- NCRB).............. 252
15.9 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो- बीपीआरडी (Bureau of Police Research and Development- BPRD)... 252
15.10 राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन- एनटीआरओ (National Technical Research Organization- NTRO)253
15.11 राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड - नैटग्रिड (National Intelligence Grid- NATGRID) 253
15.12 मल्टी एजेंसी सेंटर- मैक (Multi Agency Centre- MAC) 253

अध्याय 16

रक्षा आधुनिकीकरण
(DEFENCE MODERNISATION) 255

16.1 परिचय (Introduction)... 255

16.2 वर्तमान स्थिति (Current Status) 255

16.3 रक्षा आधुनिकीकरण की आवश्यकता (Need for Defense Modernisation)......................... 255

16.4 रक्षा आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम (Step Taken for Defense Modernisation)................ 255

16.4.1 रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 (डीपीईपीपी 2020) Defence Production and Export Promotion Policy (DPEPP) 2020 255

16.4.2 रक्षा उत्पादन (Defense Production) 256

16.4.3 रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष- एमएफडीआईएस (Modernisation Fund for Defence and Internal Security- MFDIS) 257

16.4.4 भारत में रक्षा खरीद (Defence Procurement in India) 257

16.4.5 एकीकृत थिएटर कमांड (Integrated Theatre Command) 258

16.4.6 सामरिक भागीदारी मॉडल (Strategic Partnership Model) 258

16.4.7 आयुध निर्माणी बोर्ड में सुधार (Reforms in the ordnance factory Board) . 259

16.4.8 रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन (DFPDS) 2021 [Delegation of Financial Power to Defence Services (DFPDS) 2021] 259

16.4.9 सैन्य रसद समझौता (Military Logistics Agreement).................. 261

अध्याय 1

आंतरिक सुरक्षाः एक सिंहावलोकन (INTERNAL SECURITY: AN OVERVIEW)

1.1 परिचय (Introduction)

आंतरिक सुरक्षा की अवधारणा एक आधुनिक परिकल्पना प्रतीत हो सकती है, किंतु सामान्य समझ के विपरीत, यह राज्यों की परिकल्पना जितनी ही पुरानी है। भारत में शासनकला के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, एक राज्य को निम्नलिखित चार अलग-अलग प्रकार के ख़तरों (आंतरिक और बाह्य) का सामना करना पड़ सकता है:

- आंतरिक (जैसे- सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष)
- बाह्य (जैसे- पाकिस्तान और चीन से ख़तरा)
- आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाह्य (जैसे- पंजाब और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद)
- बाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक। (जैसे- आईएसआई प्रायोजित आतंकवाद)

कौटिल्य ने "अर्थशास्त्र" में आंतरिक रूप से उत्पन्न और आंतरिक रूप से समर्थित ख़तरों को सबसे गंभीर ख़तरे के रूप में वर्णित किया है। वह इस ख़तरे की तुलना "छिपे हुए साँप के डर (Fear from a lurking snake)" से करते हैं।

आधुनिक समय में, किसी देश की सुरक्षा के लिए आंतरिक एवं बाह्य ख़तरों की संख्या और ख़तरों का स्वरूप पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है। किसी राष्ट्र के लिए विश्व स्तर पर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना और अपने लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी राष्ट्र को आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य और राजनयिक नीतियों का एक उपयुक्त मिश्रण नियोजित करना चाहिए। ये नीतियाँ देश के हितों और उसके नागरिकों की भलाई की रक्षा करने में मदद करती हैं।

भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें आतंकवाद, नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दे, छोटे हथियारों का प्रसार, ऊर्जा की कमी और सूचना युद्ध का ख़तरा शामिल है। ऐसे में आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन करना देश के सबसे कठिन कार्यों में से एक बनता जा रहा है। इन ख़तरों की सीमा तथा जटिलता काफ़ी व्यापक और विविध है। उल्लेखनीय है कि देश का 50% से अधिक हिस्सा इनमें से किसी-न-किसी ख़तरे से प्रभावित है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये मुद्दे सामान्य 'कानून और व्यवस्था' संबंधी चिंताओं से परे हैं और साथ ही बाह्य कारकों से भी संबंधित हैं। यह उस पारंपरिक धारणा को भी चुनौती देते हैं जिसके अनुसार आंतरिक सुरक्षा से संबंधित ख़तरे मुख्य रूप से आंतरिक कारणों की वजह से उत्पन्न होते हैं।

1.1.1 आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ख़तरों के बीच अंतर (Difference between Internal and External Security Threats)

आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ख़तरे अक्सर आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, जिससे उनके मध्य स्पष्ट अंतर कर पाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिर भी, कुछ व्यापक अंतरों पर विचार किया जा सकता है।

सुरक्षा ख़तरे (Security Threats)	
बाह्य (External)	**आंतरिक (Internal)**
ख़तरा विदेशी या बाहरी ज़मीन से उत्पन्न होता है।	ख़तरा देश की सीमा के भीतर ही उत्पन्न होता है।
किसी अन्य देश और गैर-राज्य अभिकर्त्ता (Non State Actors) द्वारा आक्रमण।	यह आंतरिक अशांति और कानून व्यवस्था की समस्याओं का परिणाम है।
यह देश की संप्रभुता को प्रभावित करता है।	यह सरकार की साख को प्रभावित करता है।
इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं।	सरकार के साथ नागरिकों के संबंध प्रभावित होते हैं।
ख़तरे को मुख्य रूप से सशस्त्र बलों और राजनयिकों द्वारा निपटाया जाता है।	ख़तरे को गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस द्वारा निपटाया जाता है।

1.2 परिभाषा (Definition)

आंतरिक सुरक्षाः आंतरिक सुरक्षा का अर्थ एक राज्य की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमा के भीतर विघटनकारी और राष्ट्र-विरोधी ताकतों से देश की संप्रभुता को बचाए रखने का एक कार्य है।

वर्तमान में सुरक्षा की परिभाषा राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और मानवीय ख़तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा की अवधारणा को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं को भी

शामिल करती है। किसी भी समुदाय की सबसे बुनियादी इकाई–व्यक्ति, की सुरक्षा के बारे में चिंता ने 'मानव सुरक्षा' के विचार को जन्म दिया। यह अवधारणा लोगों और उनकी भलाई पर केंद्रित है। यह प्रत्येक व्यक्ति के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे। अतः, सुरक्षा की परिभाषा राज्य की अपने लोगों के कल्याण की रक्षा करने की क्षमता से संबंधित है।

पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने 2005 में – आतंकवाद, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार (Proliferation of Weapons of Mass Destruction), कम तीव्रता के संघर्ष और समुद्री मार्गों की सुरक्षा से संबंधित ख़तरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष प्रमुख ख़तरों के रूप में चिह्नित किया था।

जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के ख़तरों को करीब से देखते हैं, तो पाते हैं कि वे सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, आतंकवाद हथियारों के प्रसार से जुड़ा है, जिसमें सामूहिक विनाश के हथियार जैसे ख़तरनाक हथियार भी शामिल हैं। इसी प्रकार, समुद्री मार्गों की सुरक्षा हमारी ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा से जुड़ी हुई है।

सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ कानून और व्यवस्था को भी सुनिश्चित करे। राष्ट्र की वृद्धि और विकास के लिए एक सुरक्षित आंतरिक वातावरण महत्त्वपूर्ण है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस पर बल देते हुए कहा, "...प्रभावी कानून और व्यवस्था के बिना, आर्थिक विकास असंभव होगा। इसलिए, हमें इस पहलू की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।" यह इस विचार को रेखांकित करता है कि आर्थिक प्रगति और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक सुरक्षा एक अनिवार्य शर्त है।

आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य की चुनौतियों से निपटना देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार बल देकर कहा है। 2016 में अंतर-राज्य परिषद् की बैठक को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि "हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम अपने देश को आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं"। उन्होंने विशेष रूप से राज्यों के मध्य आसूचना जानकारी साझा करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला। आसूचना जानकारियों को साझा करना, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित और उन्हें दूर करने के लिए देश को "सतर्क" और "अद्यतन" रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि आंतरिक रूप से कमज़ोर देश बाह्य ख़तरों के प्रति संवेदनशील होता है।

इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक देश को आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य और राजनयिक शक्तियों के संबंध में नीतियों का एक उपयुक्त मिश्रण तैयार करना होगा ताकि देश और उसके नागरिकों के हितों को सुरक्षित किया जा सके।

1.3 आंतरिक सुरक्षा के घटक (Constituents of Internal Security)

एक देश की आंतरिक सुरक्षा के कई घटक होते हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

कानून और व्यवस्था को बनाए रखना: सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखे ताकि 'विधि का शासन' सुनिश्चित हो सके और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार के संकट का सामना न करना पड़े।

राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा: राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए राज्य और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में उत्पन्न चुनौतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है।

घरेलू शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना: राष्ट्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा, जातीय संघर्ष, भीड़ हिंसा आदि जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।

समानता: भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी देता है। इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अधिकारों की रक्षा की जाए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सरकार को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जहाँ लोग बिना किसी डर के अपने विचार और भावना को व्यक्त कर सके। लोकतंत्र में असहमति का होना महत्त्वपूर्ण है। लोगों के विभिन्न वर्गों के मध्य मतभेदों को संवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है।

निष्पक्षता: राज्य या समाज के हाथों नागरिकों के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव (जिसमें शोषण और उत्पीड़न शामिल है) नहीं होना चाहिए। कमज़ोर वर्ग की रक्षा की जानी चाहिए तथा उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

सामाजिक सद्भाव एवं बंधुत्व: आंतरिक सुरक्षा ख़तरों को नियंत्रित करने और उन्हें हल करने के लिए विभिन्न जातियों, समुदायों, क्षेत्रों आदि के बीच सामाजिक सद्भाव आवश्यक है।

1.4 आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में योगदान देने वाले कारक (Factors Contributing to Internal Security Challenges)

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, **"भारत एक अनोखा देश है तथा यह विरोधाभासों की भूमि है"**। ये विरोधाभास एक-दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और ऐसे कारकों को जन्म देते हैं, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं में बढ़ोतरी करते हैं। इन कारकों को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:

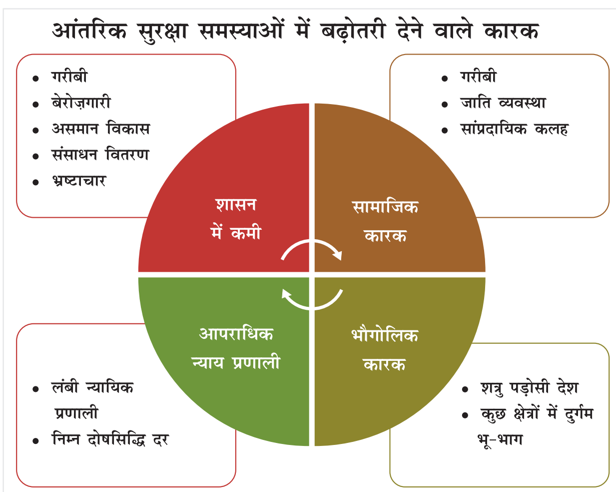

1.4.1 शासन में न्यूनता (Governance Deficit)

A. **गरीबी** (Poverty)

गरीबी और कानून-व्यवस्था की समस्याओं के मध्य एक सकारात्मक संबंध है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि घटती राष्ट्रीय आय, निम्न प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्राथमिक वस्तु या प्राकृतिक संसाधन पर निर्भरता एवं निम्न आर्थिक संवृद्धि के कारण नागरिक संघर्ष का जोखिम और व्यापकता बढ़ जाती है।

व्यापक गरीबी के कारण आवश्यक मानवीय सेवाएँ प्रदान करने की राज्य की क्षमता सीमित हो सकती है, जिससे राज्य आतंकवाद जैसी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो सकता है।

वंचित परिवेश में रहने वाले नागरिकों का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से मोहभंग हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत के कुछ सबसे पिछड़े और गरीब जिले नक्सली हिंसा के ख़तरे से जूझ रहे हैं।

B. **बेरोज़गारी** (Unemployment)

बेरोज़गारी का अर्थ है कि कार्यबल की ऊर्जा और कौशल का उपयोग देश के आर्थिक विकास के लिए नहीं किया जा रहा है। 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान, भारत की बेरोज़गारी दर 2019 के 5.27 प्रतिशत से बढ़कर 10.22 प्रतिशत हो गई। एक चिंताजनक मुद्दा यह है कि प्रत्येक वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक अभियंता स्नातक होते हैं और उनमें से 80% बेरोज़गार रह जाते हैं। जब युवाओं को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं और सरकार पर से भरोसा खो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग विघटनकारी कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं। युवाओं की हताशा क्रोध की अभिव्यक्ति को जन्म दे सकती है और सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है।

C. **असमानतापूर्ण विकास** (Inequitable Growth)

भारतीयों के मध्य आय अंतराल बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चेतावनी दी है कि भारत और चीन, दोनों बढ़ती असमानता के सामाजिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। भारत का गिनी गुणांक 1990 के 0.45 से बढ़कर 2018 में 0.47 हो गया है, जिसका मुख्य कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न शहरी क्षेत्रों के बीच बढ़ती असमानता है। क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास 58.4% संपत्ति है। ये संकेतक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत में बढ़ती असमानता एक वास्तविकता है। यह एक चिंता का कारण है क्योंकि नागरिकों का असंतोष आंतरिक सुरक्षा के संबंध में सरकार के लिए एक चुनौती बन सकता है।

बेहतर विकासात्मक संभावनाओं और मानव पूँजी वाले राज्यों की तुलना में बीमारू राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की समस्याएँ आसानी से उत्पन्न होती हैं।

D. **संसाधन वितरण** (Resource Distribution)

संसाधन वितरण सामान्य वस्तुओं (Common Goods) के सिद्धांत का पालन करता है। हालाँकि, आर्थिक विकास का फल जब असमान रूप से वितरित होता है, तो केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं और एक बड़ी आबादी इस प्रक्रिया में पीछे छूट जाती है। मध्य भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हुआ है, किंतु इन क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति देश के बाकी हिस्सों से मेल नहीं खाती है। ये क्षेत्र अब 'लाल गलियारा (Red Corridor)' कहलाने लगे हैं, क्योंकि स्थानीय आबादी वामपंथी उग्रवाद में संलिप्त है। इसका मुख्य कारण वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की कमी है।

E. **भ्रष्टाचार** (Corruption)

भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से राष्ट्र के भीतर शांति और सुरक्षा के समक्ष ख़तरे के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब भ्रष्टाचार गहराई तक व्याप्त हो जाता है, तो यह राज्य प्राधिकरणों और उसके

संस्थानों के विकास को कमज़ोर कर देता है, जिससे कमज़ोर राज्यों में विद्रोही गतिविधियों के संचालन के लिए स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं।

भ्रष्टाचार के प्रतिकूल प्रभाव अक्सर गरीबों पर सबसे अधिक दिखाई देते हैं। हालाँकि, यह आम लोगों को भी शक्तिहीन बना देता है, जिससे उनके लिए अदालतों में न्याय माँगना या राजनेताओं को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है।

हथियारों की खरीद से लेकर नीतिगत बदलावों तक, जब लगभग सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय अक्सर भ्रष्ट विचारों से दूषित होते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा से समझौता होना अपरिहार्य है।

राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा उत्पन्न की गई रिक्तता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वामपंथी अतिवादी ताकतें फल-फूल रही थीं। भ्रष्ट राज्य मशीनरी ने राज्य को कमज़ोर करने में योगदान दिया है। जब व्यवस्था विकृत हो जाती है, तो कुछ तत्त्व आगे आते हैं और लोगों के पक्ष में हस्तक्षेप करते हैं एवं उनका समर्थन हासिल करते हैं, जिससे माओवाद फैलता है।

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भ्रष्टाचार और संघर्ष के मध्य एक निरंतर और दुखद संबंध देखने को मिलता है।

1.4.2 आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System)

आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर गठित मलिमथ समिति (Malimath Committee) के अनुसार, आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष दो प्रमुख समस्याएँ हैं- *'बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों का अदालतों में लंबित होना' और 'आपराधिक मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी'।*

A. **लंबी न्यायिक प्रणाली** (Prolonged Judicial System)

देशभर के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं, इसलिए बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों का लंबित होना और आपराधिक मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी प्रमुख समस्याएँ है। त्वरित एवं वहनीय न्याय नहीं मिलने पर लोग निराश हो जाते हैं। मामलों का इस तरह लंबित रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है, क्योंकि अपराधियों में दंड मुक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है।

B. **निम्न दोषसिद्धि दर** (Low Conviction Rate)

न्यायालयों में बहुत सारे मामले लंबित होने के कारण न्यायाधीशों के पास एक मामले की सुनवाई के लिए औसतन 2 से 6 मिनट का समय होता है। परिणामस्वरूप, गंभीर अपराध के मामलों में दंड की दर काफ़ी कम है तथा 2020 में यह केवल 59.2% थी। इस स्थिति ने अनजाने में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, हिंसा एवं संगठित अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। दंड की सीमित संभावना ने अपराध को एक लाभदायक उद्यम में बदल दिया है। पिछले कुछ वर्षों में, कानून और व्यवस्था की स्थिति ख़राब हुई है और नागरिकों का आपराधिक न्याय प्रणाली पर से विश्वास उठ गया है।

1.4.3 भौगोलिक कारक (Geographical Factors)

A. **शत्रुतापूर्ण पड़ोसी** (Hostile Neighbours)

भारत अपनी सीमा का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और चीन के साथ साझा करता है। साथ ही भारत के पूर्वी और पश्चिमी पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं।

ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात् दोनों पड़ोसियों के मध्य चार बार युद्ध हो चुका है। दोनों देशों के मध्य विवाद का एक प्रमुख मुद्दा "कश्मीर" रहा है। पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद, नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN), नशीली दवाओं की तस्करी आदि के माध्यम से भारत के साथ छद्म युद्ध में शामिल है।

भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद के कारण संबंध विवादपूर्ण रहे हैं। 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य हस्ताक्षरित संधि की वैधता पर चीन अक्सर प्रश्न उठाता रहता है। 1962 में सीमा विवाद को लेकर एक युद्ध भी हुआ था। समकालीन समय में, भारत में माओवादी (Maoists) चीन से वैचारिक समर्थन चाहते हैं। चीन हिंद महासागर में नौसैनिक अभियानों के लिए बंदरगाहों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करते हुए "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स (String of Pearls)" नीति लागू कर रहा है, जिसे भारत को घेरने के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, चीन और पाकिस्तान के बीच एक किस्म की साँठगाँठ भी है।

प्रस्तावित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा [China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)], पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुज़रता है, जिस पर भारत को आपत्ति है।

हाल ही के गलवान संकट और अरुणाचल पर चीनी दावे ने संबंधों को और अधिक जटिल बना दिया है।

B. **कुछ क्षेत्रों में दुर्गम भू-भाग** (Difficult Terrain in Some Regions)

भारत के पूर्वोत्तर और उत्तरी भाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्गम भू-भाग सीमा प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विप्लवकारियों, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों और मध्य भारत के पहाड़ी इलाकों में माओवादियों की मौजूदगी सुरक्षा एजेंसियों के काम को और अधिक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण बना देती है, क्योंकि उन्हें इन समूहों की शत्रुता और दुर्गम भू-भाग की दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ता है।

छिद्रित सीमा (Porous border): म्याँमार और पाकिस्तान की छिद्रित और दुर्गम भू-भाग वाली सीमा से होने वाली हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी देश को आंतरिक रूप से अस्थिर करती हैं और बांग्लादेश की छिद्रित सीमा अवैध आप्रवासन की समस्या को उत्पन्न करती है।

जलवायु परिवर्तन (Climate Change): जलवायु परिवर्तन के कारण आप्रवासन में वृद्धि हुई है और सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, जिससे व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि राजस्व में 20-25% की अल्पकालिक गिरावट हो सकती है।

आपदा जोखिम (Disaster Risk): समुद्र स्तर में वृद्धि, गर्म लहरों, भूस्खलन आदि के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने सुरक्षा ख़तरों को बढ़ा दिया है।

1.4.4 सामाजिक कारक (Social Factors)

A. **सांप्रदायिक एवं नृजातीय संघर्ष** (Communal and Ethinic Discord)

सांप्रदायिक सौहार्द की कमी और असहिष्णुता, सांप्रदायिक संघर्ष को जन्म दे रही है। भारत में हिंदू-मुस्लिम विवाद सामान्य हैं, हालाँकि भारत में 1984 में सिक्ख विरोधी दंगे भी देखे गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 2011 से अक्टूबर 2015 तक देश में एक माह में औसतन 58 सांप्रदायिक घटनाएँ हुई हैं। इसके अतिरिक्त दंगों के परिणामस्वरूप संपत्ति की क्षति, आजीविका की हानि और आवासीय क्षति जैसी समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में कुछ निहित स्वार्थ हमारे समाज के विभिन्न विभाजनों से बेहतरीन तरीके से लाभ प्राप्त करते हैं।

हाल ही में कुकी-मैतेई संघर्ष (Kuki-Meitei conflict) ने आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है।

B. **जातिगत चेतना** (Caste Consciousness)

जातिगत चेतना हमारे समाज में गहराई तक व्याप्त है, जो भारतीय जीवन का एक अभिन्न पहलू बन गई है। जाति व्यवस्था ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विवाह और धर्म जैसे लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आज़ादी के सात दशक बाद भी, दलितों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है और चुनाव अक्सर जातिगत विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाते हैं। कुछ व्यक्ति समाज में तनाव को बनाए रखते हुए जातिगत विभाजन का लाभ उठाते हैं। जातिगत विचारधारा पर आधारित निर्णय लेने से निर्णयों की निष्पक्षता बाधित होती है और दीर्घकाल में यह मज़बूत राष्ट्र निर्माण के लिए अनुत्पादक सिद्ध होता है।

धार्मिक कट्टरवाद (Religious Fundamentalism): इस्लाम की ख़िलाफ़त और ज़िहाद की विचारधारा, लोन वुल्फ़ अटैक (उदाहरण के लिए, क्राइस्टचर्च हमला और यूरोपीय देशों में अन्य हमले) के रूप में विकेंद्रीकृत कट्टरता तक पहुँच गई है।

माओवाद (Maoism): भारत में इसकी उत्पत्ति 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के विभाजन के बाद हुई, जिसके कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन हुआ था।

1.5 भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ (Internal Security Challenges of India)

भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होती हैं और विभिन्न प्रकार की हैं। इन्हें निम्नलिखित तरीके से सूचीबद्ध

किया जा सकता है। आइए इन सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से विचार करते हैं।

भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ

बाह्य चुनौतियाँ	1. पड़ोसी देशों में अस्थिरता 2. पूर्वोत्तर में चीन की रुचि 3. बांग्लादेश से अवैध प्रवास 4. जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित उग्रवाद और आतंकवाद।
विकास की कमी संबंधी चुनौतियाँ	1. वामपंथी उग्रवाद 3. पूर्वोत्तर में उग्रवाद
भौगोलिक चुनौतियाँ	1. संगठित अपराध और आतंकवाद के साथ इसकी साँठगाँठ 2. तटीय सुरक्षा 3. सीमा प्रबंधन
सामाजिक चुनौतियाँ	1. क्षेत्रीय और भाषायी संघर्ष 2. जातिगत संघर्ष 3. सांप्रदायिकता 4. नृजातीय संघर्ष
तकनीकी चुनौतियाँ	1. साइबर-अपराध 2. साइबर-सुरक्षा

1.5.1 बाह्य चुनौतियाँ (External Challenges)

A. **पड़ोसी देशों में व्याप्त अस्थिरता के कारण बाह्य ख़तरे** (Instability in Neighbouring Countries induced External Threats)

भारत के पड़ोसी देश धार्मिक कट्टरता या नृजातीय संघर्ष के कारण अस्थिर हैं। पाकिस्तान तीन दशकों से अधिक समय से आतंकवाद, जाली मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी के रूप में छद्म युद्ध लड़ रहा है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में खालिस्तान अलगाववादियों को समर्थन देने से हुई और फिर 1980 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को समर्थन प्रदान किया गया।

बांग्लादेश में, पूर्वोत्तर भारत के विप्लवकारियों से संबंधित आतंकवादी शिविरों पर कार्यवाही 2014 में हुई थी, लेकिन यह अभी भी विप्लवकारियों के लिए छिपने का स्थान बना हुआ है। अधिक चिंताजनक संकेत यह है कि कट्टरपंथी ताकतें मज़बूत हो रही हैं, जिससे सांप्रदायिक और धार्मिक हिंसा में वृद्धि हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते देखा गया है।

म्याँमार, जिसने लोकतंत्र की दिशा में शुरुआती कुछ कदम उठाए हैं, का पूर्वोत्तर भारत के विप्लवकारियों को शरण देने का इतिहास रहा है। रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं के उत्पीड़न के कारण पड़ोसी देशों में लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का पलायन हुआ है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक संभावित ख़तरा हो सकता है।

नेपाल, जिसने 2017 में सफलतापूर्वक आम चुनाव संपन्न कराया है, एक दशक पहले तक माओवादी हिंसा का सामना करता था। माओवादियों का पुनर्वास नेपाल और उसके बाहर एक संभावित आंतरिक सुरक्षा ख़तरा बना हुआ है। इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिर वातावरण से भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

B. **पूर्वोत्तर भारत में चीन की रुचि** (China's Interest in North East India)

चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानते हुए उस पर अपना दावा करता है। इसने विवादों को जन्म दिया है, जिसमें चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को नत्थी वीज़ा (Stapled visas) जारी करना भी शामिल है। चीन के साथ नस्लीय और नृजातीय समानता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ समूहों ने चीन समर्थक रवैया विकसित कर लिया है। चीन की सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और लगातार घुसपैठ से भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा उत्पन्न हो गया है। 2017 में, सिक्किम सीमा के पास डोकलाम पठार पर एक महत्त्वपूर्ण सीमा गतिरोध हुआ और 2020 के गलवान घाटी संघर्ष ने इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती रुचि को उजागर किया।

डोकलाम भारत के लिए सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत, भूटान और चीन के ट्राइ-जंक्शन पर स्थित है। भूटान का चीन के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है और भारत भूटान के साथ विशेष संबंध रखता है, जिसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। इस प्रकार, भूटान के प्रति भारत की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसमें सहायता प्रदान करना और उसकी संप्रभुता की रक्षा करना शामिल है। इस गठबंधन से एक मज़बूत सहयोगी के रूप में भूटान की उपस्थिति से भारत को भी लाभ होता है।

C. **बांग्लादेश से अवैध प्रवासन** (Illegal Migration from Bangladesh)

दोनों देशों द्वारा साझा की जाने वाली 4096.7 किमी लंबी सीमा को देखते हुए, बांग्लादेश से अवैध प्रवासन भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। इस क्षेत्र में कई छोटी नदी धाराओं एवं कुछ प्रमुख नदियों की उपस्थिति, सीमा को छिद्रित बनाती है। यह अवैध प्रवासियों को जल धाराओं के माध्यम से सीमा पार करने और भारत में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करती है। यह स्थिति पशुधन, दवाओं, ड्रग्स, नकली मुद्रा की तस्करी और धन-शोधन सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों के बारे में चिंता उत्पन्न करती है। विशेष चिंता की बात यह है कि आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसपैठ करने और भारतीय क्षेत्र में हथियारों की तस्करी के लिए इस मार्ग का संभावित उपयोग किया जा सकता है।

प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने न केवल भारत के सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकी को बदल दिया है, बल्कि अवैध प्रवासियों के भारतीय शहरों में बसने से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष भी संभावित संकट उत्पन्न कर दिया है। इस बात का जोखिम है कि ये व्यक्ति

संभावित रूप से विदेशी शक्तियों से प्रभावित होकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह अवैध प्रवासन से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

D. **जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित लड़ाकूवृत्ति और आतंकवाद** (Militancy and Terrorism in J&K led by Pakistan)

भारतीय सेना तीन दशकों से भी अधिक समय से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जूझ रही है इस मुद्दे में अलगाववादी आंदोलन, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिक हिंसा और पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप सहित कई आयाम शामिल हैं। आतंकवाद की मौजूदगी ने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो राज्य के लिए राजस्व और रोज़गार का एक प्रमुख स्रोत है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक विकास में कमी आई है और बेरोज़गारी में वृद्धि हुई है। जब सकारात्मक संभावनाएँ सीमित होती हैं, तो युवा आसानी से पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार का शिकार बन सकते हैं। गुमराह युवाओं को पड़ोसी देश द्वारा प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है, जो भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती है।

सोशल मीडिया के उदय ने ख़तरों को बढ़ा दिया है, क्योंकि युवाओं को ऑनलाइन अभियानों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है और वे अभूतपूर्व तरीके से संवाद एवं अपनी गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, 2012 के बाद से आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की जटिलता बढ़ गई है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के रुझान।

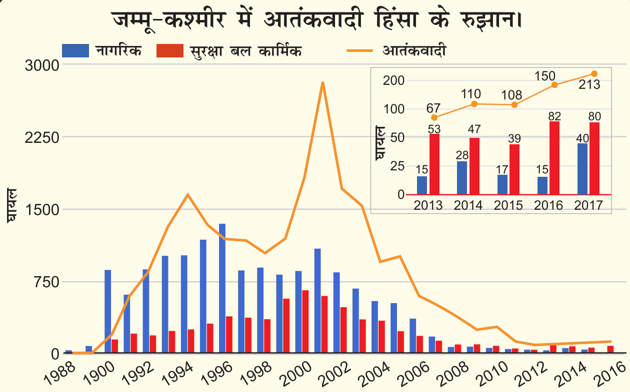

1.5.2 विकास की कमी संबंधी चुनौतियाँ (Development Deficit Related Challenges)

A. **वामपंथी उग्रवाद** (LWE)

सुरक्षा विशेषज्ञ व्यापक रूप से सहमत हैं कि वामपंथी उग्रवाद (LWE) देश के समक्ष सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा ख़तरा है। यह समस्या 60 और 70 के दशक के अंत से बनी हुई है, जिससे देश के विभिन्न हिस्से अलग-अलग स्तर की नक्सली हिंसा से प्रभावित हुए हैं।

वामपंथी उग्रवाद का उद्देश्य ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करना है, जो सरकार के कामकाज को बाधित करती हों, राज्य के प्रतीकों जैसे- स्कूलों, अस्पतालों और पुलिस को निशाना बनाती हों, 'नियंत्रण छीनने' के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विकास गतिविधियों को सक्रिय रूप से बाधित करती हों।

नक्सलवाद के उदय के पीछे मुख्य कारण गरीबों और आदिवासी समुदायों का व्यापक शोषण है। जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनके लिए पुलिस सुरक्षा के साथ-साथ उचित पुनर्वास भी आवश्यक है। सुरक्षा और विकास का साथ-साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए, सरकार को इस ख़तरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

आज़ादी के बाद से भारत की विकास नीतियों ने वन संसाधनों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे वनवासियों और आदिवासियों की पारंपरिक वन उपज तक पहुँच कम हो गई। खनन आधारित उद्योग और बड़े बाँधों का निर्माण, आदिवासियों के प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट करने के अलावा उनके व्यापक विस्थापन का भी कारण बना। परिणामस्वरूप, वामपंथी उग्रवाद को वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों से समर्थन प्राप्त हुआ है, जो विशेषरूप से वन और आदिवासी क्षेत्रों में मज़बूत हो रहा है।

B. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में विप्लव** (Insurgency in North East)

2017 में, 1997 के बाद से सबसे कम विप्लवकारी घटनाएँ हुई। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का भारत के साथ एकीकरण सहज नहीं रहा है, जिस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस क्षेत्र में कई अलगाववादी आंदोलन हुए हैं। पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्य नृजातीयता और उप-राष्ट्रवाद के मुद्दों से प्रेरित किसी-न-किसी प्रकार के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विभिन्न समूहों द्वारा अपनी विशिष्ट माँगों को संबोधित करने के लिए हिंसा का उपयोग किया जाता है।

विकास की कमी, भारतीय संविधान के ढाँचे के भीतर अवास्तविक स्वायत्तता, दुर्गम स्थलाकृतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसे कारकों से इस क्षेत्र में जटिलताएँ बढ़ी हैं। ये तत्त्व सुरक्षा एजेंसियों के लिए क्षेत्र में विप्लवकारियों और हथियारों की गतिविधियों पर नज़र रखने को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।

जहाँ तक इन मुद्दों को हल करने की बात है, तो भारत सरकार को मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। कुछ समूहों ने सफलतापूर्वक हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं, जैसे- हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा) [NSCN (IM)] के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [NSCN (K)] जैसे कुछ समूह अभी भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह में संलग्न हैं।

1.5.3 भौगोलिक चुनौतियाँ (Geographical Challenges)

A. **संगठित अपराध और आतंकवाद के साथ इसका गठजोड़** (Organised Crime and its Nexus with Terrorism)

आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य विकसित हो रहे संबंध भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। आतंकवादियों और संगठित अपराधियों की गतिविधियाँ अक्सर एक-दूसरे को मज़बूत बनाने का कार्य करती हैं, जिसमें आतंकवादी अवैध व्यापार, तस्करी, ज़बरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण और प्राकृतिक संसाधनों के गैर-कानूनी व्यापार जैसे संगठित अपराध गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास को कमज़ोर करते हुए वित्तीय और भौतिक लाभ प्राप्त करना होता है। यह, बदले में, संगठित आपराधिक समूहों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाता है।

मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, धन-शोधन, नकली मुद्रा और माफ़िया गतिविधियों सहित संगठित अपराध का उपयोग भारत में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को वित्त-पोषित करने के लिए किया जाता है। संगठित अपराध के संजाल और संसाधनों का उपयोग आतंकवादी संगठनों द्वारा हमलों की योजना बनाने, समन्वय करने और अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण 1993 का मुंबई बम विस्फोट है, जिसमें मुंबई के एक संगठित आपराधिक गिरोह ने प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप 257 लोगों की जान चली गई।

स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle) (म्याँमार, लाओस और थाईलैंड) और स्वर्णिम अर्द्धचंद्र (Golden Crescent) (ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान) जैसे मादक पदार्थों की तस्करी वाले क्षेत्रों के साथ भारत की निकटता इसे इन आपराधिक गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। पूर्वोत्तर में नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी विभिन्न संघर्षों को और बढ़ावा दे रही है, जिससे आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर हो रही है। देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंध को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है।

B. **तटीय सुरक्षा** (Coastal Security)

भारत की समुद्री तटरेखा 7,516 किमी तक विस्तारित है, जो इसे आपराधिक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाती है। विगत् कुछ वर्षों में सोना, नशीले पदार्थों, विस्फोटकों, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों से आतंकी की घुसपैठ की घटनाएँ सामने आई हैं। भारत के तटों के निकट पड़ोसी देशों की राजनीतिक अस्थिरता इसकी सुभेद्यता को और बढ़ा देती है। चूँकि शुरुआत से भूमि सीमा सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है, इससे समुद्री क्षेत्र पर निगरानी सीमित हुई है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा अपर्याप्त रह गई है। जैसे-जैसे भूमि सीमाएँ अधिक सुरक्षित होती जा रही हैं, आतंकवादियों ने घुसपैठ के लिए नए मार्ग तलाश लिए हैं तथा बिना पहचान के भारत में घुसने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में समुद्र का रुख कर रहे हैं।

26 नवंबर, 2008 को समुद्री मार्ग से घुसपैठ करने वाले दस पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया मुंबई हमला, देश के तटों की संवेदनशीलता का एक ज्वलंत उदाहरण है। वर्तमान विश्व में तटीय जल और तटों के सुरक्षा निहितार्थों को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए, देश की समग्र सुरक्षा के लिए तटों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

C. **सीमा प्रबंधन** (Border Management)

भारत की सीमा विस्तृत और जटिल है, जो लगभग 15,100 किमी तक फैली हुई है। भारत की सीमा सात देशों के साथ साझा होती है। इनमें से कई सीमाएँ मानव निर्मित हैं और उनमें प्राकृतिक अवरोधों का अभाव है। सीमाओं का प्रबंधन कई चुनौतियों का सामना करता है। कुछ समुद्री सीमाएँ अनिश्चित बनी हुई हैं और भूमि सीमाएँ पूरी तरह से सीमांकित नहीं हैं। सीमा-रक्षक बलों को अक्सर संसाधनों की कमी और उचित उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, इन बलों का उपयोग कभी-कभी सीमा सुरक्षा से इतर अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। आसूचना जानकारी एकत्र करने, साझा करने और समन्वय करने के लिए संस्थागत तंत्र कमज़ोर हैं।

1.5.4 सामाजिक चुनौतियाँ (Social Challenges)

A. **नृजातीय संघर्ष** (Ethnic Conflicts)

नृजातीय संघर्ष भारत में आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा है। यह देश विभिन्न नृजातीय और धार्मिक समूहों की विशेषता वाला देश है। 3000 से अधिक जातियों, आठ प्रमुख धर्मों, 22 अनुसूचित भाषाओं में बोली जाने वाली कई बोलियों और पर्याप्त संख्या में जनजातियों तथा संप्रदायों के साथ, संघर्ष की संभावना मौजूद है। भारत को अक्सर "अनेकता में एकता" के लिए जाना जाता है, किंतु एकता और विविधता के बीच संघर्ष के जोखिम को खारिज नहीं किया जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस चिंता को व्यक्त करते हुए कहा, "जहाँ एक ओर हम भारत के लोग संस्कृति, साझे उद्देश्यों, मित्रता और स्नेह के मज़बूत बंधन से एकसाथ बंधे हैं, वहीं दूसरी ओर, दुर्भाग्य से भारत में अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृत्तियाँ अंतर्निहित हैं...

(इससे अतीत में भारत को नुकसान उठाना पड़ा। भारत को अपनी एकता बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, अलगाववाद, राज्यवाद और जातिवाद से लड़ने की ज़रूरत थी।)"

यह चिंता आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। असम ने बार-बार नृजातीय हिंसा का सामना किया है, जैसे कि 1983 में जब 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। 2012 में, कोकराझार और आस-पास के ज़िलों में हिंसा में लगभग 80 लोगों की मृत्यु हुई और 2014 में सोनितपुर, कोकराझार और आस-पास के इलाकों में इसी तरह के संघर्ष में 76 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। असम हिंसा का कारण बोडो-भाषी स्थानीय समुदायों और बांग्ला-भाषी मुस्लिमों के मध्य नृजातीय तनाव था। अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न जनजातियों से जुड़े नृजातीय संघर्ष "विविधता में एकता" की भावना को कमज़ोर करते हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा उत्पन्न करते हैं।

हाल ही में कुकी-मैतेई नृजातीय संघर्ष ने पूर्वोत्तर की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है।

B. **क्षेत्र और भाषा आधारित संघर्ष** (Region and Language based Conflicts)

एक विशाल और विविधतापूर्ण देश होने के कारण, भारत में भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज़ों, भाषाओं, विरासतों और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर क्षेत्रीय मतभेदों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 1967 में भाषायी संघर्ष, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, क्षेत्रीय भावनाओं की तीव्रता को दर्शाते हुए, हिंदी विरोधी विरोध प्रदर्शन में परिवर्तित हो गया।

उग्र भावनाओं और जागरूकता की कमी के प्रभाव में कुछ राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यक, हमले और हिंसा का निशाना बन गए, जिससे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा "भूमि पुत्र (Sons of the Soil)" की अवधारणा को बढ़ावा मिला। कई राज्यों में इस अवधारणा के आधार पर आंदोलन देखे गए, जिससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। 2010 में, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन देखा गया और इसी प्रकार 2012 में, बेंगलुरु से पूर्वोत्तर भारत के लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।

भारत का संविधान अपने नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालाँकि, उल्लिखित संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं हैं। सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि वह ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों के मध्य एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए।

भूमि पुत्र सिद्धांत (Sons of the Soil Doctrine)

भूमि पुत्र (SoS) की अवधारणा मानव मनोविज्ञान में गहराई से अंतर्निहित है। यह एक मौलिक अवधारणा है जो लोगों को उनके जन्म स्थान से जोड़ती है और उन्हें कुछ लाभ, अधिकार, भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ भी प्रदान करती है, जो दूसरों पर लागू नहीं हो सकती हैं।

भूमि पुत्र सिद्धांत इस विचार के इर्द-गिर्द घूमता है कि एक राज्य मुख्य रूप से उसके भीतर रहने वाले प्रमुख भाषायी समूह से संबंधित होता है। इससे पता चलता है कि राज्य अपने मुख्य भाषा बोलने वालों की विशिष्ट 'मातृभूमि' का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें अक्सर 'भूमि पुत्र' या 'स्थानीय निवासी' कहा जाता है। इस ढाँचे में, अन्य सभी जो राज्य में रहते हैं या बस जाते हैं, विशेषकर वे जिनकी मातृभाषा मुख्य भाषा नहीं है, उन्हें 'बाहरी' करार दिया जाता है। भले ही ये बाहरी लोग राज्य में कितने समय से रह रहे हों या हाल ही में पलायन कर गए हों, उन्हें 'भूमि पुत्र' नहीं माना जाता है।

C. **नृजातीय संघर्ष** (Caste Conflicts)

जातिगत संघर्ष हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुका हैं। जाति व्यवस्था देश की सामाजिक गतिशीलता को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ जातियाँ, विशेषकर दलित या पूर्व में "अछूत" सदियों से अत्याचार और अन्याय सहते रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान द्वारा समानता सुनिश्चित की गई थी, किंतु देश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में समानता को सुनिश्चित करना अभी शेष है।

भारत में जातिगत संघर्षों का इतिहास रहा है, जैसा कि 1997 में बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार जैसी घटनाओं में देखा गया है, जहाँ गया के बारा नरसंहार के प्रतिशोध में रणवीर सेना ने दलितों को निशाना बनाया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आँकड़े 2020 में अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि का संकेत देते हैं।

जाति-आधारित शत्रुता सीमित आर्थिक संसाधनों और सामाजिक स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धी आकांक्षाओं से उत्पन्न होती है। राजस्थान में गुर्जर विरोध (2008), हरियाणा में जाट विरोध (2016), महाराष्ट्र में मराठा विरोध (2017), गुजरात में दलित विरोध (2017), और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित बनाम ठाकुर संघर्ष (2017) जैसे उदाहरण विभिन्न जातियों और वर्गों के बीच असंतोष और शत्रुता को उजागर करते हैं।

यह स्थिति एक बड़ी सुरक्षा चुनौती में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। इसलिए सरकार, नागरिक समाज और नागरिक सभी को स्थिति को व्यापक रूप से संबोधित करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और अधिक न्यायसंगत व सामंजस्यपूर्ण समाज की दिशा में कार्य करने में भूमिका निभानी है।

D. **सांप्रदायिकता** (Communalism)

सांप्रदायिकता मूलतः एक विचारधारा है और सांप्रदायिक दंगे इस विचारधारा के प्रसार के केवल परिणाम दर्शाते हैं। यह सांप्रदायिकता

के पीछे विश्वास है कि किसी विशेष समुदाय से संबंधित या किसी विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले लोग कुछ हितों जैसे- सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों को साझा करते हैं। किसी समुदाय विशेष के नेता अक्सर इन हितों को अन्य समुदायों के हितों, के सीधे विरोध के रूप में प्रचारित करते हैं और दूसरे समुदाय को ख़तरा बताकर विभाजनकारी राजनीतिक रणनीति के लिए आधार तैयार करते हैं।

सांप्रदायिकता के उदाहरणों में 1984 के सिक्ख विरोधी दंगे और 2002 के गुजरात दंगे शामिल हैं। सांप्रदायिकता के साथ भारत के संघर्ष की जड़ें 'फूट डालो और शासन करो' की ब्रिटिश नीतियों में खोजी जा सकती हैं, जिसने शुरू में चुनावी मताधिकार को विभाजित किया और अंततः नेतृत्व किया। भारत के विभाजन के लिए स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत में सांप्रदायिक झड़पों के कारण कई लोगों की जान चली गई, जो देश की अखंडता के लिए एक ख़तरा है।

सांप्रदायिकता और उससे जुड़ी हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा ख़तरा है। बढ़ी हुई सांप्रदायिक चेतना, कुछ धार्मिक नेताओं के समर्थन के साथ मिलकर सांप्रदायिकता को और अधिक ख़तरनाक बना देती है। सांप्रदायिक संघर्ष विभिन्न समुदायों के बीच अलगाव और धार्मिक घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जिनमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों पर नियंत्रण और शक्ति के अंतर्निहित विचार शामिल होते हैं।

सांप्रदायिक संघर्ष समुदायों के मध्य अलगाव और धार्मिक शत्रुता को बढ़ाते हैं, जो सामान्यतः सतही या मामूली मुद्दों के कारण उत्पन्न होते हैं। हालाँकि अंतर्निहित विषय में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों और शक्ति पर नियंत्रण एवं पहुँच के गहरे विचार शामिल होते हैं। इस प्रकार का वातावरण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए उपयुक्त आधार तैयार करता है।

1.5.5 तकनीकी चुनौतियाँ (Technological Challenges)

A. **साइबर अपराध** (Cyber-Crime)

साइबर अपराध भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्या के लिए एक गंभीर ख़तरा बनकर उभर रहा है। साइबर अपराध में सफेदपोश अपराध (White collar crime), आर्थिक अपराध, बौद्धिक संपदा उल्लंघन, दूरसंचार अपराध और नागरिक क्षेत्राधिकार से संबंधित अपराध शामिल होते हैं। साइबर अपराध के संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (कंप्यूटर) का उपयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर सरकारें और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ सक्रिय रूप से इस मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं तथा सीमापार साइबर ख़तरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत में विशेष साइबर सेल की स्थापना और पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण पहल, साइबर अपराध से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है।

B. **साइबर सुरक्षा** (Cyber-Security)

साइबर सुरक्षा का अर्थ है, साइबर स्पेस को सुरक्षित करना। भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, संवेदनशील सरकारी और सैन्य कंप्यूटरों पर अज्ञात संस्थाओं द्वारा हमला किए जाने की कई घटनाएँ देखने को मिली हैं, जिसके परिणामस्वरूप सूचनाओं की चोरी हुई है। ऐसी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है।

जैसे-जैसे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, मज़बूत साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती महत्त्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ कंपनियों, व्यक्तियों और सरकारी विभागों द्वारा बड़ी संख्या में लेन-देन ऑनलाइन किए जाएँगे, जो भारत को साइबर अपराधियों और हैकरों के लिए एक बड़े लक्ष्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। 2017 तक भारत में हुए साइबर हमलों ने लागत 25,000 करोड़ रुपयों (+4 बिलियन) से अधिक का नुकसान किया है। यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ऐसे कई साइबर हमले होते हैं, जिनका पता ही नहीं चल पाता और उनकी रिपोर्ट भी नहीं की जाती, इसलिए यह संख्या बहुत अधिक हो सकती है। इस सुरक्षा ख़तरे से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों को बेहतर ढंग से तैयार रहने की आवश्यकता है।

1.6 आंतरिक सुरक्षा नीति के पहलू (Aspects of Internal Security Policy)

1.6.1 राजनीतिक (Political)

भारतीय संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है, जिसमें लोकतंत्र में विपक्ष की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया है। भारत के कुछ हिस्सों में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है

जिसके कारण पृथक्करण, अलगाव और उप-क्षेत्रीय राष्ट्रवाद जैसी भावनाएँ देखी जा सकती हैं। सशस्त्र उग्रवाद को निर्णायक रूप से संबोधित करते समय, संवैधानिक ढाँचे के भीतर वैध माँगों पर ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को राजनीतिक समाधान की रणनीति तैयार करनी चाहिए। इसमें अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, साथ ही सरकार के भीतर हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना शामिल हो सकता है।

1.6.2 सामाजिक-आर्थिक (Socio-Economic)

सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ नागरिकों के जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है की कानून-व्यवस्था की समस्या और आंतरिक सुरक्षा में गिरावट का सबसे बड़ा कारण नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ होती हैं।

जब लोग अपनी बुनियादी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं और अपनी अगली पीढ़ी के लिए अंधकारमय भविष्य देखते हैं, तो वे स्थिति को सुधारने के लिए विकल्पों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य से, उनमें से कुछ हताशा में या किसी विचारधारा के प्रभाव में राज्य के विरुद्ध कार्य करने की ओर आकर्षित होते हैं, जो उन्हें भविष्य में बेहतर रास्ते का वादा करता है। यह ठीक ही कहा गया है कि दरिद्र और असमान समाज अस्थिर समाज होता है।

सरकार को सेवा वितरण में सुधार करने, आबादी को बुनियादी सुविधा प्रदान करने और आर्थिक विकास के फल को इस तरह से वितरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बेहतरी के लिए बदलाव हो सके।

1.6.3 कानून प्रवर्तन एजेंसी (Law Enforcement Agencies)

कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, विशेष रूप से राज्य पुलिस बल, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आम धारणा यह है कि राज्य पुलिस बल बड़े पैमाने पर जनता के साथ व्यवहार में संवेदनशील नहीं हैं। हालाँकि पुलिस बल के भीतर कमियाँ मौजूद हैं, कुछ दोष उन राजनीतिक नेताओं को दिए जाने चाहिए, जिन्होंने अक्सर अपने संकीर्ण हितों के लिए अक्सर पुलिस का प्रयोग किया है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण, बल में कर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने में रुचि की कमी रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली से आम नागरिकों में असंतोष है और वे पुलिस के पास जाने से डरते हैं। यह झिझक न केवल सार्वजनिक सहयोग को बाधित करती है, बल्कि पुलिस को मूल्यवान आसूचना जानकारी जुटाने के अवसरों से भी वंचित कर देती है। हिरासत में मृत्यु और पुलिस द्वारा उत्पीड़न की घटनाएँ इस धारणा को और अधिक क्षति पहुँचाती हैं।

पुलिस को जनता के साथ संवाद में संवेदनशील बनाने और उन्हें जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित करने की तत्काल आवश्यकता है। पुलिस को एक प्रभावी बल बनाने के लिए व्यापक पुलिस सुधार किए जाने चाहिए, जो विविध और विषम देश के सामने आने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान कर सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्मार्ट' (SMART) पुलिसिंग की अवधारणा की वकालत की है। (SMART) पुलिसिंग में:

S – कठोर और संवेदनशील (Strict and Sensitive)

M – गतिशील और आधुनिक (Modern and Mobile)

A – सतर्क और जवाबदेह (Alert and Accountable)

R – विश्वसनीय और उत्तरदायी (Reliable and Responsive)

T – प्रशिक्षित और तकनीकी समझ-बूझ (Techno-savvy and Trained)

स्मार्ट पुलिसिंग को तुरंत क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

1.6.4 शासन (Governance)

"राष्ट्रीय शासन" और "आंतरिक सुरक्षा" के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। यदि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो शासन वितरण नहीं किया जा सकेगा और देश की एकता एवं अखंडता को गंभीर ख़तरा होगा। इसी तरह, यदि शासन वितरण अक्षम और भ्रष्ट प्रशासन द्वारा किया जाता है, तो आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

सामरिक नीति समूह (Strategic Policy Group)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (NSC) की सहायता के लिए गठित सामरिक नीति समूह (SPG) को आंतरिक और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया है। यह एनएससी (NSC) की सहायता करेगा और अन्य कार्यों के साथ-साथ दीर्घकालिक सामरिक रक्षा समीक्षा भी करेगा।

शासन, आंशिक रूप से प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ है, क्योंकि नेता अधिकांशता अपनी पार्टी के हितों और अल्पकालिक राजनीतिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संवैधानिक जिम्मेदारियों पर निरंतर ध्यान देने में राजनीतिक कार्यपालिका की विफलता के कारण राज्यों में सरकारी कामकाज में देरी, अक्षमता, असंवेदनशीलता, गैर-जवाबदेही और व्यापक भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है। परिणामस्वरूप, लोग सरकार के प्रति उदासीन हो गए हैं और कुछ तो राज्य के विरुद्ध गतिविधियों में भी शामिल हो गए हैं।

राज्य के प्रति जनता का विश्वास पुन:स्थापित करने के लिए शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना सर्वोपरि है। इससे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होगा, बल्कि देश को सुरक्षित रखने में भी सहायता मिलेगी।

1.6.5 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय (Coordination between Centre and States)

भारत की संघीय राजनीति में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। चूँकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए पुलिस राज्य सरकारों के पास है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार पुलिस व्यवस्था की गुणवत्ता को सीधे नियंत्रित या सुधार नहीं सकती है, जिससे अक्सर आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। दुर्भाग्य से, राज्य सरकारें इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत कम ध्यान देती हैं और सामान्यत: पुलिस और आंतरिक सुरक्षा के मध्य बुनियादी संबंधों और उत्तरदायित्व की अवहेलना करती हैं। केंद्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना राज्य के पास पुलिस की गुणवत्ता को उन्नत करने या अतिरिक्त बल जुटाने के लिए न तो संसाधन हैं और न ही इच्छाशक्ति। परिचालन के स्तर पर, अक्सर समन्वय की कमी होती है, खासकर तब, जब केंद्र और राज्य में सरकारें अलग-अलग राजनीतिक गठबंधनों के नेतृत्त्व में होती हैं।

आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें भारत के संविधान द्वारा परिभाषित अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य के बीच तालमेल होना चाहिए, जिससे कि प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके और जिम्मेदारियों को पूर्ण किया जा सके। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और प्रबंधित करने के लिए सद्भाव के साथ मिलकर काम करना महत्त्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य

महाराष्ट्र आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम (MPISA), 2016 का मसौदा महत्त्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र (CIS) को परिभाषित करता है। यह कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, विद्रोह, जाति-आधारित हिंसा, सांप्रदायिकता और आतंकवाद से निपटने पर बल देने के साथ परमाणु रिएक्टरों, बाँधों, प्रमुख परियोजनाओं, तटीय क्षेत्रों आदि को इसके दायरे में लाता है।

1.6.6 साइबर सुरक्षा (Cyber-Security)

साइबर-सुरक्षा का अर्थ है, साइबर स्पेस को सुरक्षित करना। जैसे-जैसे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, मज़बूत साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती महत्त्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ कंपनियों, व्यक्तियों और सरकारी विभागों द्वारा बड़ी संख्या में लेन-देन ऑनलाइन किए जाएँगे, जो भारत को साइबर अपराधियों और हैकरों के लिए एक बड़े निशाने के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यदि साइबर सुरक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया गया, तो पूरा डिजिटल तंत्र साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा।

भारत फिलहाल अपनी साइबर सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है और इस क्षेत्र में चुनौतियाँ पहले से कहीं अधिक व्यापक और गहन हैं। अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, क्योंकि जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, साइबर हमलों का ख़तरा और अधिक हो जाता है। इन प्रगतियों को बनाए रखने और संभावित साइबर ख़तरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, भारत द्वारा अपने साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।

1.6.7 आसूचना (Intelligence)

आंतरिक सुरक्षा और आतंक-निरोध से संबंधित भारत के विगत् अनुभव, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आसूचना प्रतिष्ठानों में महत्त्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। खुफ़िया सूचनाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने और दोषियों को निर्णायक समाधान तक पहुँचाने की हमारी क्षमता में एक उल्लेखनीय अंतर है। खासकर आतंकवाद से संबंधित मामलों में। यह स्पष्ट है कि मानव और तकनीकी माध्यमों से गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं (Non-state actors) की घुसपैठ का सामना करने के लिए आसूचना एजेंसियों को नई तकनीकें अपनानी होंगी। इसमें आसूचना जानकारी एकत्र करने के तरीकों में सुधार करना, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में विशेषज्ञता बढ़ाना तथा आसूचना एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना शामिल है। इन मुद्दों के समाधान के लिए चल रहे प्रयासों से भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है।

1.6.8 सीमा क्षेत्र प्रबंधन (Border Area Management)

संभावित अराजक या अस्थिर राज्यों से घिरे एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए, भारत के लिए सीमा क्षेत्रों का प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है। संभवत:, किसी भी अन्य पड़ोसी देश में 15 वर्षों से अधिक समय तक निर्बाध लोकतांत्रिक शासन संचालित नहीं हुआ है। हालाँकि, सांस्कृतिक कट्टरवाद से चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, कुछ पड़ोसी राज्य आतंकवादियों और माफ़िया समूहों का समर्थन करते हैं, जो ड्रग्स, मवेशियों, मनुष्यों, कलाकृतियों और नकली मुद्रा की सीमापार तस्करी जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं। दुर्भाग्य से, इस परिदृश्य में हमारी सीमा सेनाएँ अपेक्षाकृत कम आधुनिक और कम सुसज्जित दिखाई देती हैं, जो हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव डाल रहा है।

उत्तरी सीमा पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के साथ-साथ शत्रु पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से चुनौतियों का सामना करना

पड़ता है। पूर्वोत्तर में विप्लवकारियों और चीन की घुसपैठ दोनों से ही चुनौतियाँ हैं। बांग्लादेश से संलग्न पूर्वी सीमा अवैध प्रवासन से ग्रस्त है। दुर्गम भू-भाग, सीमित विकास, स्थानीय विद्रोह और बाह्य शत्रु सीमा क्षेत्रों के प्रबंधन की जटिलताओं में योगदान करती हैं।

वर्तमान संदर्भ में, सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन को राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। इन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए उच्च जीवन स्तर बनाए रखना आवश्यक है, जो देश के लिए जनसांख्यिकीय बफर के रूप में कार्य करता है। बुनियादी ढाँचे के विकास द्वारा न केवल तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, बल्कि इसमें भविष्य के विस्तार की योजनाएँ भी शामिल होनी चाहिए। इसलिए, देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सीमा क्षेत्र प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है।

1.7 भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति (India's Internal Security Policy)

राष्ट्रीय हित और उद्देश्य किसी देश की सैन्य एवं सुरक्षा संबंधी नीतियों और रणनीतियों को संचालित करते हैं। वर्तमान संदर्भ में, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को न केवल हमारी रणनीतिक स्वायत्तता के ख़तरों से निपटना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के लिए बाहरी सैन्य ख़तरों से भी निपटना चाहिए। इसे हमारे आधारभूत मूल्यों के समक्ष मौजूद आंतरिक ख़तरों और राष्ट्र के सामने आने वाले अन्य गैर-पारंपरिक ख़तरों से भी निपटने की आवश्यकता है।

भारत की राष्ट्रीय रक्षा नीति की व्याख्या में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- देश की रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय अखंडता और आधारभूत मूल्यों को संरक्षित करने की आवश्यकता
- वैश्विक और क्षेत्रीय परिवेश में सुरक्षा संबंधी विकास
- बाहरी और आंतरिक ख़तरे, जो राष्ट्र को प्रभावित करते हैं
- विरोधियों की क्षमताओं की तुलना में देश की क्षमताएँ
- क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा में योगदान की आवश्यकता
- अन्य देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध।

1.7.1 सुरक्षा हित और उद्देश्य (Security Interests and Objectives)

आंतरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में, सुरक्षा हितों और उद्देश्यों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है:

- **राष्ट्रीय हितों की रक्षा** (Protecting National Interests): अलगाववादी और संबंधित विघटनकारी प्रयासों का सामना करने के उद्देश्य से आतंकवाद (परमाणु आतंकवाद सहित), विप्लव और उग्रवाद जैसे ख़तरों के विरुद्ध राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
- **लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों की रक्षा करना** (Protecting the Core Values of Democracy): लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों, जैसे- धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, एकता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना (जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है), साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नागरिक प्राधिकरण को सहायता प्रदान करना।
- **कड़ी निगरानी बनाए रखना** (Maintaining Close Surveillance): संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा स्थितियों पर कड़ी निगरानी बनाए रखना।
- **तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता** (Rapid Response Capability): राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और विशेष बल (SF) सहित पुलिस और सेना दोनों की कई एजेंसियों को शामिल करते हुए, आतंकवादी हमलों/बंधक बनाने के विरूद्ध त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखना।
- **शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना** (Promoting Peace and Stability): विवादों और संघर्षों के समाधान के लिए, राजनयिक पहलों द्वारा समर्थित सहकारी आर्थिक विकास के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना।
- **क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करना** (Ensuring Regional Cooperation): क्षेत्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमापारीय ख़तरों का शीघ्र पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना ताकि उन ख़तरों को समय पर और सक्रिय रूप से हटाया जा सके।
- **मानवीय राहत प्रदान करना** (Providing Humanitarian Relief): आवश्यकता या अनुरोध के आधार पर मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सहायता प्रदान करना।
- **भारत-विरोधी प्रयासों को निष्प्रभावी करना** (Neutralising Anti-Indian Efforts): विरोधियों और अराजक तत्त्वों द्वारा भारत-विरोधी प्रयासों और प्रचार को निष्प्रभावी करना।
- **प्रवासी हितों को बढ़ावा देना** (Promoting Diaspora Interest): भारतीय क्षेत्र और विश्व में प्रवासी हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना।
- **रणनीतिक साझेदारी का निर्माण** (Building Strategic Partnerships): रक्षा सहयोग, समुद्री दस्युता रोधी, आतंकरोधी और शांति स्थापना संबंधी गतिविधियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य देशों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा समूहों के साथ मज़बूत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध/रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना।
- **सुरक्षा हितों को बढ़ावा देना** (Promoting Security Interests): सुरक्षा, आसूचना और साइबर मुद्दों के समन्वय सहित वैश्विक स्तर पर सुरक्षा हितों को बढ़ावा देना।

1.7.2 विभिन्न भारतीय सुरक्षा बल (Various Security Forces of India)

गृह मंत्रालय पर देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व है। इसके नियंत्रण में सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल

(CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और असम राइफल्स (AR) आते हैं। हालाँकि, असम राइफल्स सेना के परिचालन नियंत्रण में है।

- **केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल** (CRPF): आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है।
- **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल** (CISF): देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण अवसंरचना और उद्योग प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।
- **सीमा सुरक्षा बल** (BSF): भारत की भूमि सीमा की रक्षा करता है तथा वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के रूप में कार्यरत है।
- **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस** (ITBP): एक विशेष पर्वतीय बल, जो लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जचेप-ला तक सीमा सुरक्षा का कार्य करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड** (NSG): आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित और केवल असाधारण परिस्थितियों में आतंकवादी कृत्यों को विफल करने का कार्य करता है।
- **सशस्त्र सीमा बल** (SSB): दूर-दराज़, दूरस्थ और जलवायु की दृष्टि से कठिन क्षेत्रों में कार्य करना और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए कई राज्यों में सीमावर्ती समुदाय को प्रेरित करता है।
- **असम राइफल्स** (AR): उग्रवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियानों के लिए प्रतिबद्ध है।

इन बलों के अतिरिक्त, एक बल भारतीय तटरक्षक बल (ICG) भी है, जो विशेष रूप से तटीय निगरानी के लिए उत्तरदायी है। राज्य समुद्री पुलिस 12 समुद्री मील (Nautical miles) तक तटीय गश्ती का कार्य करती है, जबकि भारतीय तटरक्षक बल 12 से 200 समुद्री मील (Nautical miles) के बीच तटीय गश्ती का कार्य करते हैं। एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) है, जो 12 बटालियनों में संगठित है तथा प्रत्येक में 1,149 कर्मी तैनात हैं। इनमें से चार NDRF बटालियन रासायनिक, जैविक, रेडियोसक्रिय और परमाणु (CBRN) हमलों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए सुसज्जित हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए देश की तत्परता बढ़ जाती है। आंतरिक सुरक्षा को समग्रता से देखने पर पता चलता है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs), रक्षा मंत्रालय (MoD) के आंतरिक सुरक्षा घटक राष्ट्रीय राइफल्स, सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के राज्य पुलिस बल तथा 145 रिजर्व बटालियनों को मिलाकर सामूहिक रूप से 5,000,000 से अधिक वर्दीधारी तैनात हैं। सुरक्षा बलों का यह व्यापक और विविध नेटवर्क आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, आपदाओं के समय प्रतिक्रिया देने और देश की सीमाओं एवं तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1.7.3 आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की पहलें (Initiatives taken by GoI to ensure Internal Security)

- **गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम** (UAPA), **2019:** यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के महानिदेशक को संपत्ति जब्ती या कुर्की को मंज़ूरी देने में सक्षम बनाता है, जब मामले की जाँच एनआईए द्वारा की जा रही होती है।
- **पुलिस का आधुनिकीकरण** (Modernization of Police): आपराधिक कानून में संशोधन हेतु गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर, भारत सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सहायता (ASUMP) योजना लागू कर रही है।
- **समाधान पहल** (SAMADHAN Initiative): यह वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित पहल है।
- **वामपंथी उग्रवाद पर राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना** (National Policy and Action Plan on Left Wing Extremism), **2015:** यह सरकार द्वारा विकसित एक समग्र योजना है, जिसमें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास, सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के अधिकार शामिल हैं।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास** (Infrastructure development): भारत सरकार ने रसद लागत को कम करने के उद्देश्य से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समन्वित योजना बनाने और समयबद्ध निष्पादन करने हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना प्रारंभ की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना संचालित की जा रही है।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम** (Aspirational District Program): सरकार इस योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित और अविकसित क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में जिलों का समग्र विकास करना है।
    - केंद्रीय बजट 2022-23 में आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम (Aspirational Blocks Programme) की भी घोषणा की गई है।
- **सिविक एक्शन प्रोग्राम** (Civic Action Programme): इसके तहत आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास करने, स्थानीय आबादी और सुरक्षा बलों के बीच की खाई को पाटने के लिए अनुदान दिया जाता है।
    - उदाहरण के लिए, सीआरपीएफ और बीएसएफ की परियोजना "दिल और दिमाग जीतना" (Winning

Heart and Mind) के तहत विभिन्न स्कूलों, बिजली सुविधाओं आदि का निर्माण किया जा रहा है।

- हाल ही में जब झारखंड में पारा शिक्षक हड़ताल पर थे, तो सीआरपीएफ बटालियन- 26 ने दिल जीतने की मिसाल के तौर पर स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने की पहल की।

- **नेटग्रिड** (NATGRID): यह प्रभावी आतंकवाद-निरोध हेतु सभी एजेंसियों को आपराधिक जानकारी और अपराध पैटर्न तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए विभिन्न मुख्य सुरक्षा एजेंसियों का एक एकीकृत डेटाबेस है।
- **अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम** (CCTNS): जाँच और सूचना साझा करने में आसानी के लिए यह नेटवर्क बनाया गया है। यह पुलिस स्टेशनों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाने के लिए ई-गवर्नेंस के तहत एक पहल है।
- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम** (CERT-In): यह साइबर सुरक्षा के विभिन्न ख़तरों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक नोडल एजेंसी है।
- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र** (National Critical Information Infrastructure Protection Centre): महत्त्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा के लिए इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत स्थापित किया गया था।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति** (National Cyber security policy) **2020:** देश के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के तीव्र और अधिक कुशल कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

1.7.4 वर्तमान नीति की सीमाएँ (Limitations in Present Policy)

वर्तमान नीति निम्नलिखित सीमाओं से ग्रस्त है:

- यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य सूची के विषय हैं, संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र को प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक ख़तरों से सुरक्षित रखने के लिए निर्देशित करता है। बढ़ते ख़तरों को देखते हुए यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में इस जिम्मेदारी को संभालना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल होता है। विभिन्न ख़तरों से सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अधिक कुशलता से मिलकर काम करना महत्त्वपूर्ण है।
- देश में सुधार अक्सर विशिष्ट मुद्दों की प्रतिक्रिया में किए जाते हैं और ये किसी बड़ी, समन्वित योजना का हिस्सा नहीं होते हैं। ये एक समय में एक ही कदम उठाते हैं और इनमें एक एकीकृत और व्यापक दृष्टिकोण का अभाव होता है, जो आदर्श रूप से राष्ट्रीय रणनीतिक योजना प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
- भारत में नौ प्रमुख आसूचना एजेंसियाँ हैं और इनमें से कुछ के चार्टर को संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव और परिभाषित राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के अभाव में आसूचना एजेंसियों के उत्तरदायित्व को परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है।
- माओवादियों से निपटने का दायित्व अलग-अलग राज्यों पर छोड़ना प्रभावी निर्णय नहीं है, क्योंकि:
  1. दबाव बढ़ने पर विप्लवी पड़ोसी राज्य में शरण ले लेते हैं।
  2. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) को राज्य के महानिदेशक पुलिस (DGP) के अधीन रखा गया है, जो मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। जबकि ज़मीनी स्तर पर विधायक माओवादी समर्थन पर निर्भर होते हैं, जो पृथक् दृष्टिकोण और आसूचना जानकारी की सीमित उपयोगिता को दर्शाता है।
  3. सीएपीएफ में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियाँ सदैव भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों में से ही की जाती हैं जिनके पास कानून और व्यवस्था का तो पर्याप्त अनुभव होता है, किंतु उन्हें उग्रवाद से मुकाबला करने का अनुभव नहीं होता है।
  4. उग्रवाद से निपटने के लिए जाने वाले सभी सीएपीएफ सैनिकों को अनिवार्य पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण से नहीं गुजरना पड़ता है।
  5. विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच आसूचना और रणनीति के माध्यम से समन्वय और सहयोग प्रभावित होता है।
- नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रिड) और ग्लोबल इंटेलिजेंस ग्रिड (GIG) के मध्य समन्वय स्थापित करने में विलंब हो रहा है। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (NCTC) की स्थापना की जानी चाहिए और उसे केवल कुछ चुनिंदा राज्यों में ही नहीं, बल्कि 'सभी' राज्यों में नेटग्रिड के माध्यम से राज्य स्तरीय आतंकवाद रोधी केंद्रों (SCTCs) से जोड़ा जाना चाहिए।

1.7.5 सुझाव एवं सिफ़ारिशें (Suggestions and Recommendations)

- **सक्रिय जवाबी रणनीति** (Pro-active Counter Strategy): राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (NSC) और सुरक्षा मामलों की समिति को पाकिस्तान की आईएसआई सहित विभिन्न राज्य और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा उत्पन्न सुरक्षा ख़तरों के विरूद्ध एक प्रभावी और सक्रिय जवाबी रणनीति विकसित करनी चाहिए।
- **मुख्यमंत्रियों को संवेदनशील बनाना** (Sensitising the Chief Ministers): केंद्र सरकार को सुरक्षा प्रबंधन के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता के बारे में मुख्यमंत्रियों को संवेदनशील बनाना चाहिए।
- **विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन** (Implementation

of Developmental Schemes): मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन को विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जबकि सुरक्षा बल आतंकवाद विरोधी अभियान का संचालन कर रहे हैं।

- **पुलिस बल का आधुनिकीकरण** (Modernization of Police Force): राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जाना है, जिसके लिए केंद्र सरकार को राज्यों को आधुनिकीकरण अनुदान प्रदान करना चाहिए और राज्यों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित एवं सुसज्जित नागरिक और सशस्त्र बलों को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **विशिष्ट बलों का निर्माण** (Creation of Specialized Forces): प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशेष बल का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना** (Setting up Forensic Laboratory): प्रत्येक राज्य को एक सुसज्जित और आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।
- **केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय** (Collaboration between Centre and State): केंद्र और राज्यों को राज्य की विशेष शाखाओं और आसूचना ब्यूरो की क्षमताओं के उन्नयन के साथ-साथ उनके मध्य सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
- राज्य सरकारों को पुलिस स्टेशनों के व्यवस्थित कामकाज को बहाल करना चाहिए।
- केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों (CPMFs) के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है।
- विप्लव, उग्रवाद और आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में, केंद्र और राज्य अधिकारियों के साथ निकट परामर्श से परिचालन योजना, तैनाती आदि के समन्वय की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार** (Revamping the Criminal Justice System): आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों का उपयोग करना शामिल है।
- **मज़बूत विधायी उपाय** (Strong Legal Measures): आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त नियंत्रण एवं संतुलन के साथ आतंकवाद निरोधी अधिनियम (POTA), 2002 जैसे कानून आतंकवाद की रोकथाम के लिए बनाए जाने चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** (International Cooperation): संगठित अपराध से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **शैक्षणिक जागरूकता** (Educational Awareness): स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक पाठ्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए।
- **नागरिक सुरक्षा** (Civil Defence): केंद्र सरकार को संगठन की प्रभावशीलता की गहन समीक्षा करने, इसकी कमज़ोरियों और नई चुनौतियों की पहचान करने, समकालीन परिदृश्य में इसे पूरा करने और इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक ठोस योजना विकसित करने की आवश्यकता होगी।
- **माओवादियों के वित्त स्रोतों को अवरुद्ध करना** (Choking Maoists' Finance): माओवादियों के वित्त के स्रोत और हथियारों की ख़रीद के चैनलों को रोकने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
- अपेक्षित सतर्कता बरतने और सिविल पुलिस के कामकाज का समर्थन और सहायता करने में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। गाँवों, मौहल्लों और वार्डों में रक्षा दलों का गठन किया जा सकता है।
- एनजीओ (NGO) और थिंक टैंक का दिखावा करने वाले फ्रंट संगठनों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की समृद्ध क्षमता का उपयोग कर सरकार को लोगों को उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों के बारे में जागरूक करना चाहिए।
- भारत को दो मिलियन वर्ग किमी के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अपने महत्त्वपूर्ण आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अपने तटीय सुरक्षा विचारों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

1.8 आंतरिक सुरक्षा नीति सिद्धांत के घटक (Constituents of Internal Security Policy Doctrine)

आंतरिक सुरक्षा नीति सिद्धांत, आंतरिक ख़तरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का समूह है। बाह्य ख़तरों का आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बाहरी ताकतें देश के भीतर सुरक्षा मानदंड को प्रभावित कर सकती हैं। समग्र रक्षा और सुरक्षा प्रणाली के संबंध में एक व्यापक सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक और बाह्य ख़तरों को आसानी से विफल कर दिया जाए। एक सक्षम आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत के विभिन्न आयामों/घटकों को चित्रात्मक रूप से

नीचे दर्शाया गया है।

आंतरिक सुरक्षा नीति सिद्धांत के प्रमुख घटक

1.8.1 भौतिक (Physical)

भौतिक घटक में सशस्त्र बल, सुरक्षा बल, आसूचना एजेंसियाँ और उनके परिचालन प्रभाव शामिल होंगे। 21वीं सदी की गतिशील दुनिया में, देशों को लगातार बदलते और उभरते परिदृश्यों के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है और सक्षम थिंक टैंक बाकियों से एक कदम आगे रहने में उपयोगी हो सकते हैं।

A. **सैन्य शक्ति** (Military Might)

सैन्य शक्ति का अर्थ, अर्द्ध-सैनिक और सहायक बलों सहित सशस्त्र बलों की चुनौतियों, विशेषकर बाहरी ख़तरों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता है। इसमें शीर्ष स्तर की तकनीकी क्षमताएँ, आधुनिक हथियार और कुशल संगठनात्मक संरचनाएँ शामिल हैं। बढ़ती स्थितियों का नपे-तुले और सटीक तरीके से जवाब देने के लिए सेना को अच्छी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है। यह सुनिश्चित करता है कि सेनाएँ किसी भी उत्पन्न होने वाली चुनौती से निपटने के लिए सुसज्जित और संगठित हैं।

B. **आसूचना एकत्र करना** (Intelligence Gathering)

आसूचना एकत्र करना आंतरिक सुरक्षा योजना का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह एजेंसियों को नुकसान पहुँचाने से पहले ख़तरों को रोकने की अनुमति देता है। आसूचना इकट्ठा करने से शत्रुतापूर्ण आतंकवादी संगठनों और विद्रोही समूहों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है, जिससे एजेंसियाँ उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाती हैं। आसूचना उपायों में सैन्य कार्यवाही और राज्य विरोधी आंदोलनों के पीछे की विचारधाराओं का विश्लेषण शामिल है, जिससे उन्हें प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद मिलती है। भारत में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), मिलिट्री इंटेलिजेंस आदि जैसी आसूचना एजेंसियाँ देश की सुरक्षा के लिए आसूचना जानकारी इकट्ठा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

C. **उपयुक्त नीति विकास के लिए थिंक टैंक** (Think Tanks for Agile Policy Development):

थिंक टैंक सरकार से स्वतंत्र विशेषज्ञों के समूह होते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गहन शोध में लगे हुए हैं। ये देश के सुरक्षा ढाँचे के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। व्यापक शोध करके, थिंक टैंक देश को उभरते अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के बारे में सूचित रहने में मदद करते हैं, जिससे आगामी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सकता है। विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता प्रदान करने, सुरक्षा मामलों की समग्र समझ को समृद्ध करने और राष्ट्रीय हित में सूचित निर्णय लेने में योगदान देने में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

1.8.2 शासन (Governance)

ऐसा परिदृश्य बनाने के लिए सुशासन आवश्यक है, जहाँ लोगों का असंतोष न्यूनतम संभव स्तर पर हो और वे राज्य विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने के बजाय राष्ट्र निर्माण के प्रति कर्त्तव्य निष्ठ रहें।

सुशासन के मूल तत्त्व कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सर्वसम्मति उन्मुख, समानता एवं समावेशिता, प्रभावशीलता एवं दक्षता, जवाबदेही और भागीदारी हैं। सुरक्षा नीति द्वारा प्रशासन में इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए ताकि लोग राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए इच्छुक न हों।

रक्षा योजना समिति (Defence Planning Committee)

सुशासन को बढ़ावा देने के विचार को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के नेतृत्व में रक्षा योजना समिति (DPC) की स्थापना की थी। यह समिति, जिसमें स्टाफ समिति के प्रमुखों के अध्यक्ष, तीन सेवा प्रमुख और रक्षा, व्यय एवं विदेश सचिव शामिल हैं, के पास एक महत्त्वपूर्ण जनादेश है। डीपीसी को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहभागिता रणनीति, रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए रोडमैप, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति और प्राथमिकता क्षमता विकास योजनाओं जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

डीपीसी का प्राथमिक उद्देश्य भारत की रक्षा के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने की सुविधा के लिए अपनी अंतर-सरकारी संरचना का लाभ उठाना है। इसका उद्देश्य प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सैन्य लक्ष्यों को स्पष्ट करना है, साथ ही उपलब्ध संसाधनों के